रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 74] प्रयागराज, शनिवार, 19 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 28,1942 शक संवत्) [संख्या 50

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	1391–1448	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	933–962	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	. .	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	203–220	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	. .	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	327–330	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	771–791	975
स्टोर्स–पचैज विभाग का क्रोड़ पत्र	. .	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

17 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 775/दो-4-2020-26/2(5)/2011—उप निबन्धक (एम), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गयी एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	उप निबन्धक (एम0) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	सुश्री कोमल श्रीवास्तव, एडिशनल सिविल जज (जू0डि0), वाराणसी	सं0 9343/IV-4672/एडमिन(ए-1), दिनांक 19-10-2020	एमिटी विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2018
2	श्री विरेक अग्रवाल, तत्कालीन एडिशनल सिविल जज (जू0डि0)/जूडिशियल मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद सम्प्रति सिविल जज (जू0डि0), चन्दौसी, सम्भल	सं0 9508/IV-4342/एडमिन(ए), दिनांक 21-10-2020	दिल्ली विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2016

आज्ञा से,
घनश्याम मिश्र,
संयुक्त सचिव।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

अधिसूचना

02 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 6/2/3/2013-सी0एक्स0 (1)—माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अतिरिक्त न्यायाधीशगण (1) श्री प्रकाश पाडिया, (2) श्री आलोक माथुर, (3) श्री पंकज भाटिया, (4) श्री सौरभ लवानिया, (5) श्री विवेक वर्मा, (6) श्री संजय कुमार सिंह, (7) श्री पीयूष अग्रवाल, (8) श्री सौरभ श्याम शमशेरी, (9) श्री जसप्रीत सिंह, (10) श्री राजीव सिंह, (11) श्रीमती मंजू रानी चौहान, (12) श्री करूणेश सिंह पवार, (13) डॉ0 योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, (14) श्री मनीष माथुर, (15) श्री रोहित रंजन अग्रवाल, (16) श्री राम कृष्ण गौतम, (17) श्री उमेश कुमार, (18) श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, (19) श्री अनिल कुमार-IX, (20) श्री राजेन्द्र कुमार-IV, (21) श्री मो0 फैज़ आलम खान, (22) श्री विकास कुंवर श्रीवास्तव, (23) श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, (24) श्री सुरेश कुमार गुप्ता, (25) श्री नरेन्द्र कुमार जौहरी, (26) श्री राज बीर सिंह तथा (27) श्री अजित सिंह, जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2020 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति / तैनाती

12 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 2550 (209) / 96-आयुष-1-2020-66 / 2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21 / 01 / डीआर / एस-11 / 2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57 / 01 / डीआर / एस-11 / 2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91 / 01 / डीआर / एस-11 / 2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106 / 01 / डीआर / एस-11 / 2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145 / 01 / डीआर / एस-11 / 2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170 / 01 / डीआर / एस-11 / 2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-209 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000255754) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री राजेश कुमार यादव पुत्र श्री सूर्यबली यादव, निवासी-ग्राम-ताल सुपैला, पोस्ट-गड़ेरियापुर, थाना-सुरियावां, जिला-संतरविदास नगर (भदोही), उ0प्र0-221406 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जगनीपुर, प्रतापगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त / तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379 / दस-2005-31(9) / 2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी / पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (218)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-218 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000001986) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री रूबी प्रजापति पुत्री श्री उदयकरन प्रजापति, निवासी-RZF-997, अम्बेडकर मार्ग, राजनगर-2, पालम कालोनी, नई दिल्ली-110077 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बिनौली, बागपत में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बागपत के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (219)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-219 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000267299) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अर्पित कुमार श्रीवास पुत्र श्री नरेन्द्र मोहन श्रीवास, निवासी-1118, आजादपुरा-II, नियर गोविन्द सागर डैम, जिला-ललितपुर, उ0प्र0-284403 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सुगरा, महोबा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हमीरपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (232)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-

11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-232 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000280343) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री नीरज दुबे पुत्र श्री द्वारिका नाथ दुबे, निवासी-ग्राम-पूरे परसन पाठक, पोस्ट-भखौली, जिला-अयोध्या, उ0प्र0-224153 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मंसूरनगर, हरदोई में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरदोई के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (238)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-238 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000293541) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री श्वेता राय पुत्री श्री कमलेश कुमार राय, निवासी-बंकट बहादुरपुर, जिला-देवरिया, उ0प्र0-274405 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, दुबौली, गोरखपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोरखपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (244)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-244 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000322597) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री रमाकान्त द्विवेदी पुत्र श्री राज कुमार द्विवेदी, निवासी-540ख, शिवनगर कालोनी, पहाड़गंज (नवीन गल्ला मण्डी के पास) जिला-अयोध्या, उ0प्र0-224001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पोखरा, बस्ती में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बस्ती के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (250)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-250 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000192093) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री सौरभ पुत्र श्री तुलसी राम वर्मा, निवासी-7/9/34-ई, नाका गांधीनगर, फैजाबाद, जिला-अयोध्या, उ0प्र0-224001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रघुनाथपुर, बस्ती में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बस्ती के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (252)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-252 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000119169) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री रफी अहमद पुत्र श्री नबी अहमद, निवासी-ग्राम-

खिजरपुर, पोस्ट-सेंथल, तहसील व थाना-नवाबगंज, जिला-बरेली, उ0प्र0-262407 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ईटगाँव, पीलीभीत में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, पीलीभीत के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या

11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (272)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-272 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000277792) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री पुनीत कुमार पाण्डेय पुत्र श्री गंगा राम पाण्डेय, निवासी-नगलादीना, दुर्गा कालोनी (निकट दुर्गा मन्दिर), फतेहपुर, फर्रूखाबाद-209601 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गुतासी, फर्रूखाबाद में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फर्रूखाबाद के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (279)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-279 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000309824) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती प्रियंका पाण्डेय पत्नी डा0 कुलदीप पाण्डेय, निवासी-तिरूपति गोल्डन पार्क, जिला-पीलीभीत, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कनकपुरी, बरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (280)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-280 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000085544) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती सरिता पाण्डेय पत्नी डा0 राकेश कुमार पाण्डेय, निवासी-C/o श्री ताराशंकर पाण्डेय, ग्राम-छोटा कठार, पोस्ट व थाना-दुर्गागंज, जिला-संतरविदास नगर (भदोही), उ0प्र0-221404 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पुरेराई, रायबरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, रायबरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (283)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-283 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000349178) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री सोमनाथ पुत्र श्री चन्द्रभान, निवासी-913, मेन रोड,

कटरा, गोसांईगंज, जिला-अयोध्या, उ0प्र0-224141 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बेरिया नजीरपुर, हरदोई में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरदोई के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या

11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (285)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-286 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000229421) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री मधु सिंह चौधरी पुत्री श्री एस0आर0 चौधरी, निवासी-एल-1283, सेक्टर-आई, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ-226012 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अयारी, हरदोई में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरदोई के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (300)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-300 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000298494) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री रीतू सिंह पुत्री श्री मुरारी सिंह, निवासी-C/o राममनी शारस्वत, म0नं0-2ए, रेलवे कालोनी, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र, उ0प्र0-231216 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, राजापुर, गाजीपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गाजीपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (315)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-315 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000249948) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री शरद कुमार पुत्र श्री भरत लाल, निवासी-ग्राम व पोस्ट-अमाई, जिला-जौनपुर, उ0प्र0-222165 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, विजेथुआ, सुल्तानपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सुल्तानपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (338)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-338 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000313915) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री ज्ञानेश्वर सिंह पुत्र श्री शिव प्रताप सिंह, निवासी-

105/8ए, मीरापट्टी, धूमनगंज, जिला-प्रयागराज, उ0प्र0-211011 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कौशाम्बी, कौशाम्बी में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कौशाम्बी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या

11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (348)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-348 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000140638) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री रिचा लवानिया पुत्री श्री बनवारी लाल लवानिया, निवासी-C/o ओम प्रकाश चौबे, अमोघपुर, पूजा पब्लिक स्कूल रोड, निकट काली मंदिर, मुगलसराय (दीनदयाल नगर), उ0प्र0-232101 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गोमत, अलीगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अलीगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (352)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-352 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000184207) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री स्वर्णिमा मिश्रा पुत्री श्री मदन मिश्रा, निवासी-मुहल्ला-मुकुन्दपुर, पोस्ट-सलेमपुर, ग्राम-मुकुन्दपुर, थाना-तरयासुजान, तहसील-तमकुहीराज, जिला-कुशीनगर, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सिकरिया, बलिया में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बलिया के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (354)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-354 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000265292) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री स्वयंप्रभा जाटव पुत्री श्री रामनाथ जाटव, निवासी-1827, न्यू पटेल नगर, चुर्खी रोड, बधौरा बाईपास, उरई, जालौन, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बिवांर, हमीरपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हमीरपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (362)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-362 पर अंकित

(रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000358404) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री शिवानी गुप्ता पुत्री श्री अनिल कुमार, निवासी-48/16 जी, पूरा दलेल, तिलक नगर, अल्लापुर, जिला-प्रयागराज, उ0प्र0-211006 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सोनाही, प्रतापगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (390)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-390 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000212069) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री शिव सागर पुत्र श्री बृज बिहारी, निवासी-C/o श्री डी0डी0 सिंह, सेक्टर-L-6/81, अलीगंज, लखनऊ-226024 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जैदपुरा, अलीगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अलीगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (399)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-399 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000175059) (ओ0बी0सी0) सुश्री निधि राठौर पुत्री श्री प्रवेश चन्द्र राठौर, निवासी-म0नं0-160, गाडीवान, करहल रोड, जिला-मैनपुरी, उ0प्र0-205001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भैंकुरी, महामायानगर (हाथरस) में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अलीगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (409)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-409 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000304777) (ओ0बी0सी0) सुश्री वैशाली सचान पुत्री श्री वीरेन्द्र कुमार सचान, निवासी-5834, पटेल नगर, कुर्मी कालोनी, उरई (जालौन), उ0प्र0-285001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सुमेरपुर बुजुर्ग, हमीरपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हमीरपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (414)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-

11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-414 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000085702) (ओ0बी0सी0) श्री कल्पनाथ सिंह पुत्र श्री लालजी सिंह, निवासी-प्लाट नं0-105, पुष्पदेव मार्ग, बसेरा विहार, कल्याणपुर, लखनऊ-226022 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, खण्डौली, फर्रूखाबाद में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फर्रूखाबाद के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का

उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (418)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-418 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000238119) (ओ0बी0सी0) श्रीमती पुष्पा कुमारी पत्नी श्री संजय सक्सेना, निवासी-ग्राम व पोस्ट-हरपालपुर, पुलिस थाना-हरपालपुर, तहसील-सवायजपुर, जिला-हरदोई, उ0प्र0-241402 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रूकनपुर, शाहजहांपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, शाहजहांपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (422)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-422 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000076944) (ओ0बी0सी0) सुश्री शबनम राजपूत पुत्री श्री शिवलाल राजपूत, निवासी-ई-1360, निकट रूपम टेलर चौराहा, राजाजीपुरम, लखनऊ को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जलेसर, एटा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, एटा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (426)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-426 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000306517) (ओ0बी0सी0) सुश्री अंशू गंगवार पुत्री श्री हरीश चंद्र, निवासी-पीपलसाना चौधरी, भोजीपुरा, जिला-बरेली, उ0प्र0-243202 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सावेपुर, पीलीभीत में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, पीलीभीत के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (444)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-

11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-444 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000146119) (ओ0बी0सी0) श्रीमती प्रियंका जायसवाल पत्नी श्री महेन्द्र प्रसाद यादव, निवासी-362, थात्र भाग-1, कछवा रोड, मिर्जामुराद, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पकडी, गोण्डा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोण्डा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का

उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (447)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-447 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000311819) (ओ0बी0सी0) सुश्री अर्चना कुशवाहा पुत्री श्री दशरथ सिंह कुशवाहा, निवासी-502, कछियाना, प्रेमनगर, जिला-झांसी, उ0प्र0-284003 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, वावली, जालौन में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जालौन के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना

देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (449)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-449 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000214854) (ओ0बी0सी0) श्रीमती रितिशा वर्मा पत्नी श्री अमित गुप्ता, निवासी-31ए, विष्णु कालोनी, भोगीपुरा, शाहगंज, जिला-आगरा, उ0प्र0-262010 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पचहर, मथुरा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मथुरा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (450)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-450 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000145864) (ओ0बी0सी0) श्री अम्बर साहू पुत्र श्री हरी किशन साहू, निवासी-447/7, निकट सेन्ट्रल बैंक, मेनरोड, इंसारी, जिला-झांसी, उ0प्र0-284135 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गदेला, जालौन में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जालौन के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (452)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर,

2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-452 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000071523) (ओ0बी0सी0) श्री आशीष कुमार पुत्र श्री शिव कुमार, निवासी-ग्राम व पोस्ट-बसारा, ब्लाक-महोली, जिला-सीतापुर, उ0प्र0-261141 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मंसूरपुर, हरदोई में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरदोई के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (453)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-453 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000047988) (ओ0बी0सी0) सुश्री प्राची गंगवार पुत्री श्री जगनन्दन सिंह गंगवार, निवासी-राधा हेल्थ केयर क्लीनिक, स्वराज ट्रेक्टर एजेन्सी के सामने, कालागढ़ रोड, सुहागपुर, धामपुर, जिला-बिजनौर, उ0प्र0-246761 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नारावाली, बिजनौर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बिजनौर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (454)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-454 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000229999) (ओ0बी0सी0) श्री अजीत सिंह यादव पुत्र श्री मिठाई लाल यादव, निवासी-ग्राम-युसुफपुर खानपुर, पोस्ट-सिकारपुर, सहबरी, जिला-आजमगढ़, उ0प्र0-223226 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रूधौली, बस्ती में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बस्ती के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (467)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-467 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000171434) (ओ0बी0सी0) सुश्री शानिली गुप्ता पुत्री श्री कृष्ण चन्द्र गुप्ता, निवासी-14/6/33, चन्द्र भवन, हनुमान गढ़ी चौराहा, जिला-अयोध्या (फैजाबाद), उ0प्र0-224123 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सझंवल, प्रेमनगर, बलरामपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बलरामपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (483)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र

संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-483 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000357353) (ओ0बी0सी0) श्री भवभूषण पुत्र स्व0 राम प्रकाश निरंजन, निवासी-म0नं0-40ब, ग्राम व पोस्ट-सोमई, थाना-एट, जनपद-जालौन, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बहादुरपुर सहार, औरैया में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, इटावा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का

उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (495)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-495 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000167079) (ओ0बी0सी0) सुश्री अनुष्ठा सिंह पुत्री श्री अवधेश नंदन सिंह, निवासी-40, उमरपुर, हुसैनाबाद, जौनपुर कटी (कचहरी), जिला-जौनपुर, उ0प्र0-222002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ढाई पृथ्वीपुर, शाहजहांपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, शाहजहांपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (498)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-498 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000268758) (ओ0बी0सी0) श्रीमती ज्योति सिंह पत्नी श्री अतुल कुमार राजपूत, निवासी-श्री जयलाल विद्या मंदिर, डाकखाने के पास, मुस्करा, जिला-हमीरपुर, उ0प्र0-210506 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सुजावलपुर, महामायानगर (हाथरस) में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अलीगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (500)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-500 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000373971) (ओ0बी0सी0) श्री सौरभ यादव पुत्र स्व0 पान सिंह यादव, निवासी-म0नं0-56, बृजराज नगर, भरथना, जनपद-इटावा, उ0प्र0-206242 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की

राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, हिन्दूपुर, मैनपुरी में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (506)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-506 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000127089) (ओ0बी0सी0) सुश्री गरिमा सचान पुत्री श्री सुरेश चन्द्र सचान, निवासी-सूरज इण्टर प्राइजेज, मेनरोड, मीरपुर, पुखरायाँ, जिला-कानपुर देहात, उ0प्र0-209111 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भटपुरा, झांसी में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, झांसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (508)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-508 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000206289) (ओ0बी0सी0) श्री राजेश कुमार मौर्य पुत्र श्री राम छबीले मौर्य, निवासी-432, विरवा, खैरम ललवाचक, कौड़िया बाजार, जिला-गोण्डा, उ0प्र0-271122 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, विशुनपुर विश्राम, बलरामपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बलरामपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (515)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-515 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000064806) (ओ0बी0सी0) श्री आशीष कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, निवासी-ग्राम-फतेहपुर, पोस्ट-पुरूषोत्तमपुर, नरायनपुर, चुनार, मिर्जापुर, उ0प्र0-231305 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रमवापुर, जगतराम, सिद्धार्थनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सिद्धार्थनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (337)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-337 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000309055) (ओ0बी0सी0) सुश्री रजनी पुत्री श्री माता बदल, निवासी-ग्राम व पोस्ट-घरकुइयां, तहसील-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी, उ0प्र0-227301 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम

कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लवेडी, इटावा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, इटावा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (448)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-448 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000346393) (ओ0बी0सी0) श्री आशीष कुमार पटेल पुत्र श्री भगवत सिंह पटेल, निवासी-287, पाठकपुरा, जेल रोड, उरई, जनपद-जालौन, उ0प्र0-285001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, इस्किल, झांसी में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, झांसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–38 हिन्दी गजट–भाग 1–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 19 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 28, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

September 17, 2020

No. 1834/Admin.(Services)-2020–Sri Mridulesh Kumar Singh, District & Sessions Judge, Shrawasti at Bhinga to be District & Sessions Judge, Etah.

No. 1835/Admin.(Services)-2020–Smt. Renu Agarwal, District & Sessions Judge, Etah to be District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 1836/Admin.(Services)-2020–Court's Notification No. 1789/Admin. (Services)-2020 dated September 16, 2020 is hereby cancelled.

No. 1837/Admin.(Services)-2020–In partial modification in Court's Notification No. 1788/ Admin.(Service)/2020, dated September 16, 2020, the words "*vice* Sri Vimal Prakash Arya" be read as "*vice* Dr. Dinesh Chandra Shukla".

No. 1838/Admin.(Services)-2020–In partial modification in Court's Notification No. 1809/ Admin.(Service)/2020, dated September 16, 2020, the court Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Eastern Railway), Varanasi be read as Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Varanasi.

September 19, 2020

No. 1839/Admin.(Services)-2020–Sri Vivek Sangal, District & Sessions Judge, Hathras to be District & Sessions Judge, Aligarh *vice* Sri Ram Manohar Narayan Mishra.

No. 1840/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Office Memo no. 1146/VII-Nyay-1-2020-8(Pra)/2008, dated September 17, 2020, Sri Ram Manohar Narayan Mishra, District & Sessions Judge, Aligarh is appointed as Director, Judicial Training & Research Institute, U.P., Lucknow.

September 24, 2020

No. 1841/Admin.(Services)-2020–Sri Pawan Kumar Singh, Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Varanasi in the vacant court.

No. 1842/Admin.(Services)-2020–Sri Harendra Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Agra to be Additional Civil Judge, (Junior Division), Fatehabad, Agra.

No. 1843/Admin.(Services)-2020–Sushri Priyanka Azad, Additional Civil Judge, (Junior Division), Amroha to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Amroha for trying cases of crime against women *vice* Sri Vibhav Chandra.

No. 1844/Admin.(Services)-2020–Sri Vibhav Chandra, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Amroha to be Additional Civil Judge (Junior Division), Hasanpur, Amroha.

No. 1845/Admin.(Services)-2020–Sushri Nimisha Gupta, Additional Civil Judge, (Junior Division), Auraiya to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Auraiya for trying cases of crime against women in the newly created court created vide G.O. no. 06/2019/545/Saat-Nyay-2-2019-36G/2013 T.C., March 08, 2019.

No. 1846/Admin.(Services)-2020–Sushri Priyal Sharma, Additional Civil Judge, (Junior Division), Auraiya to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Auraiya against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Nepal Singh.

No. 1847/Admin.(Services)-2020–Sri Nepal Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Auraiya to be Civil Judge, (Junior Division), Bidhuna, Auraiya in the vacant court.

No. 1848/Admin.(Services)-2020–Sushri Shivani Chaudhary, Additional Civil Judge (Junior Division), Bareilly is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Bareilly *vice* Sushri Jyoti Verma.

No. 1849/Admin.(Services)-2020–Sushri Jyoti Verma, Judicial Magistrate, First Class, Bareilly to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bareilly.

No. 1850/Admin.(Services)-2020–Smt. Parul Kumari, Additional Civil Judge (Junior Division), Bareilly is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Bareilly *vice* Sri Ankit Kumar.

No. 1851/Admin.(Services)-2020–Sri Ankit Kumar, Judicial Magistrate, First Class, Bareilly to be Additional Civil Judge, (Junior Division), Aonla, Bareilly.

No. 1852/Admin.(Services)-2020–Sri Akhil Kumar Nijhawan, Additional Civil Judge, (Junior Division), Bijnor to be Additional Civil Judge (Junior Division), Nazibabad, Bijnor.

No. 1853/Admin.(Services)-2020–Sushri Ankita Singh, Additional Civil Judge, (Junior Division), Bijnor to be Additional Civil Judge (Junior Division), Nagina, Bijnor.

No. 1854/Admin.(Services)-2020–Sri Shivam Vashisth, Additional Civil Judge, (Junior Division), Budaun to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sahaswan, Budaun.

No. 1855/Admin.(Services)-2020–Sri Surya Chauhan, Additional Civil Judge, (Junior Division), Bulandshahar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Khurja, Bulandshahar.

No. 1856/Admin.(Services)-2020–Sri Prikshit, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Bulandshahar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bulandshahar.

No. 1857/Admin.(Services)-2020–Smt. Priyanka Sharma, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Bulandshahar to be Additional Civil Judge, (Junior Division), Bulandshahar.

No. 1858/Admin.(Services)-2020–Sri Mohd. Farhan, Additional Civil Judge, (Junior Division), Bulandshahar to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Bulandshahar for trying cases of crime against women.

No. 1859/Admin.(Services)-2020–Sushri Neetika Rajput, Additional Civil Judge, (Junior Division), Bulandshahar to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Bulandshahar against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sushri Shalini Singh.

No. 1860/Admin.(Services)-2020–Sushri Shalini Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Bulandshahar to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Bulandshahar for trying cases of crime against women.

No. 1861/Admin.(Services)-2020–Sushri Pragya Parashar, Additional Civil Judge, (Junior Division), Firozabad to be Additional Civil Judge, (Junior Division), Shikohabad, Firozabad.

No. 1862/Admin.(Services)-2020–Sri Shivji Yadav, Additional Civil Judge, (Junior Division), Ghazipur to be Additional Civil Judge, (Junior Division), Mohammadabad, Ghazipur.

No. 1863/Admin.(Services)-2020–Sri Rahul Jaiswal, Additional Civil Judge, (Junior Division), Ghazipur to be Additional Civil Judge, (Junior Division), Saidpur, Ghazipur.

No. 1864/Admin.(Services)-2020–Sri Sunil Gupta, Additional Civil Judge, (Junior Division), Ghazipur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ghazipur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Adarsh Amol.

No. 1865/Admin.(Services)-2020–Sri Adarsh Amol, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ghazipur to be Additional Civil Judge, Junior Division, Ghazipur.

No. 1866/Admin.(Services)-2020–Sushri Avantika Tripathi, Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Gorakhpur.

No. 1867/Admin.(Services)-2020–Sri Arvind Kumar Madhesiya, Judicial Magistrate, First Class, Gorakhpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bansgaon, Gorakhpur.

No. 1868/Admin.(Services)-2020–Sushri Ragini Mishra, Additional Civil Judge (Junior Division), Jalaun at Orai to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kalpi, Jalaun at Orai in the newly created court created *vide* G.O. no. 10/2016/870/Saat-Nyay-2-2016-85G/2012, dated July 06, 2016.

No. 1869/Admin.(Services)-2020–Sushri Abhishikta Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Jalaun at Orai to be Additional Civil Judge (Junior Division), Konch, Jalaun at Orai.

No. 1870/Admin.(Services)-2020–Sri Paras Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Kannauj to be Additional Civil Judge (Junior Division), Chhibramau, Kannauj.

No. 1871/Admin.(Services)-2020–Sushri Aruna Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Kannauj to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kannauj for trying cases of crime against women *vice* Sri Rohit Soni.

No. 1872/Admin.(Services)-2020–Sri Rohit Soni, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kannauj to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kannauj against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sushri Shalini Vidhey.

No. 1873/Admin.(Services)-2020–Sushri Shalini Vidhey, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kannauj to be Additional Civil Judge, Junior Division, Kannauj.

No. 1874/Admin.(Services)-2020–Sri Manish Kumar Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Kushinagar at Padrauna to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna for trying cases of crime against women *vice* Sri Navanit Kasyap.

No. 1875/Admin.(Services)-2020–Sri Navanit Kasyap, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna to be Civil Judge (Junior Division), Kushinagar at Padrauna *vice* Sri Chandra Prakash Tiwari.

No. 1876/Admin.(Services)-2020–Sri Chandra Prakash Tiwari, Civil Judge (Junior Division), Kushinagar at Padrauna to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kasia, Kushinagar at Padrauna.

No. 1877/Admin.(Services)-2020–Sushri Karishma Jaiswal, Additional Civil Judge (Junior Division), Kushinagar at Padrauna to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Prabhat Kumar Dubey.

No. 1878/Admin.(Services)-2020–Sri Prabhat Kumar Dubey, Civil Judge, Junior Division (Fast

Track Court), Kushinagar at Padrauna to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kasia, Kushinagar at Padrauna.

No. 1879/Admin.(Services)-2020–Sri Rananjay Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Kushinagar at Padrauna to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kasia, Kushinagar at Padrauna.

No. 1880/Admin.(Services)-2020–Sushri Shivani, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sambhal at Chandausi is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Sambhal at Chandausi *vice* Sri Shwetank Chauhan.

No. 1881/Admin.(Services)-2020–Sri Shwetank Chauhan, Judicial Magistrate, First Class, Sambhal at Chandausi to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sambhal (Sambhal at Chandausi).

No. 1882/Admin.(Services)-2020–Sri Yugal Chandra Chaudhary, Additional Civil Judge (Junior Division), Shahjahanpur to be Civil Judge (Junior Division), Jalalabad, Shahjahanpur in the vacant court.

No. 1883/Admin.(Services)-2020–Sri Rajeev Kumar Pal, Additional Civil Judge (Junior Division), Shahjahanpur is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Shahjahanpur *vice* Sri Rajat Sahu.

No. 1884/Admin.(Services)-2020–Sri Rajat Sahu, Judicial Magistrate, First Class, Shahjahanpur to be Judicial Magistrate, First Class, Shahjahanpur *vice* Sri Anurag Singh.

No. 1885/Admin.(Services)-2020–Sri Anurag Singh, Judicial Magistrate, First Class, Shahjahanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Tilhar, Shahjahanpur.

No. 1886/Admin.(Services)-2020–Sushri Nutan, Additional Civil Judge (Junior Division), Shahjahanpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Shahjahanpur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Saksham Shekhar.

No. 1887/Admin.(Services)-2020–Sri Saksham Shekhar, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Shahjahanpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Shahjahanpur for trying cases of crime against women *vice* Sri Ashishanand.

No. 1888/Admin.(Services)-2020–Sri Ashishanand, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Shahjahanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Shahjahanpur.

No. 1889/Admin.(Services)-2020–Sri Javed, Additional Civil Judge (Junior Division), Siddharth Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bansi, Siddharth Nagar.

No. 1890/Admin.(Services)-2020–Sri Arun Kumar Pandey, Additional Civil Judge (Junior Division), Sonbhadra is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Sonbhadra *vice* Sri Abhinav Yadav.

No. 1891/Admin.(Services)-2020–Sri Abhinav Yadav, Judicial Magistrate, First Class, Sonbhadra to be Civil Judge (Junior Division), Sonbhadra *vice* Sri Sunil Shekhar.

No. 1892/Admin.(Services)-2020–Sri Sunil Shekhar, Civil Judge (Junior Division), Sonbhadra to be Civil Judge (Junior Division), Duddhi, Sonbhadra in the vacant court.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, for trying cases relating to Economic Offences at Duddhi, Sonbhadra.

No. 1893/Admin.(Services)-2020–Sushri Akshita Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Sonbhadra to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sonbhadra against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Vipin Kumar Chaurasiya.

No. 1894/Admin.(Services)-2020–Sri Vipin Kumar Chaurasiya, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sonbhadra to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sonbhadra for trying cases of crime against women *vice* Sri Ranjeet Kumar Jaiswal.

No. 1895/Admin.(Services)-2020–Sri Ranjeet Kumar Jaiswal, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sonbhadra to be Additional Civil Judge (Junior Division), Duddhi, Sonbhadra.

September 28, 2020

No. 1896/Admin.(Services)-2020–Sri Krishna Pal Singh, Principal Judge, Family Court, Chandauli to be Officer-on-Special Duty, Amethi.

No. 1897/Admin.(Services)-2020–In exercise of the Powers conferred under clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Rajesh Kumar Rai, Additional District & Sessions Judge, Farrukhabad, till new District & Sessions Judge, assumes charge of his office.

No. 1898/Admin.(Services)-2020–In exercise of the Powers conferred under clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Ashish Jain, Additional District & Sessions Judge, Hathras, till new District & Sessions Judge, assumes charge of his office.

No. 1899/Admin.(Services)-2020–In exercise of the Powers conferred under clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Shiva Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge, Shravasti at Bhinga, till new District & Sessions Judge, assumes charge of his office.

September 29, 2020

No. 1900/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O. M. no. 646/II-4-2020-3(2)/98 T.C., September 25, 2020, Sri Pramod Kumar Sharma, District & Sessions Judge, Azamgarh to be Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Kanpur.

No. 1901/Admin.(Services)-2020–Sri Dinesh Chand, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Moradabad to be District & Sessions Judge, Azamgarh.

No. 1902/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O. M. no. 646/II-4-2020-3(2)/98 T.C., September 25, 2020, Sri Mahtab Ahmad, District & Sessions Judge, Pilibhit to be Chairman, Commercial Tax Tribunal, Lucknow.

No. 1903/Admin.(Services)-2020–Sri Neel Kuntha Sahay, Chairman, Commercial Tax Tribunal, Lucknow to be District & Sessions Judge, Pilibhit.

By order of the Court,
AJAY KUMAR SRIVASTAVA-I,
Registrar General.

[ESTABLISHMENT SECTION]

October 03, 2020

No. 90--From the date of taking over charge, Sri Chobrolu Srinivasa Rao (Emp. no. 2922), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Deputy Registrar-cum- Private Secretary Grade-III, in the pay scale of P.B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7th Pay Commission) in the vacancy occurred due to voluntary retirement of Smt. Lissy Francis from the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III.

No. 91--From the date of taking over charge, Sri Pradeep Singh (Emp. no. 3514), Private Secretary Grade-I, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Assistant Registrar-cum- Private Secretary Grade-II, in the pay scale of P.B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-11 Revised as per 7th Pay Commission) in the consequential vacancy to be occurred due to promotion of Sri Chobrolu Srinivasa Rao.

No. 92--From the date of taking over charge, Sri Amit Kumar (Emp. no. 3649), Additional Private Secretary, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Private Secretary Grade-I, in the pay scale of P.B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 5,400 (Level-10 Revised as per 7th Pay Commission) in the consequential vacancy to be occurred due to promotion of Sri Pradeep Singh.

(All the promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petitions (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

No. 93--From the date of taking over charge, Sri T. Lakshman Kumar (Emp. no. 2924), Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, Lucknow Bench, of High Court, Allahabad is hereby appointed as Joint Registrar-cum- Joint Principal Private Secretary to Hon'ble Mr. Justice Pankaj Mithal, Hon'ble the Senior Judge, Lucknow Bench, of High Court, Allahabad in the pay scale of Level-13 (as per Seventh Pay Commission), till further orders.

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

[ACCOUNTS (C-3) SECTION]

NOTIFICATION

October 05, 2020

No. 94--The following Private Secretary Grade-I is hereby granted the benefits of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme i.e. immediate next higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Second Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his name in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008, dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Grant of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	3573	Sri Santosh Kumar, *Lko.*	01-06-2020

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Joint Registrar,
(Accounts C-3).

[ESTABLISHMENT SECTION]

October 05, 2020

No. 95--From the date of taking over charge, Sri S. Hasnain Akhtar (Emp. no. 1530), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum- Private Secretary Grade-III, in the pay scale of P.B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7th Pay Commission) in the vacancy occurred due to appointment of Sri T. Lakshman Kumar to the post of Joint Registrar-cum- Private Secretary to Hon'ble Mr. Justice Pankaj Mithal, Senior Judge, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

No. 96--From the date of taking over charge, Sri Kavleshwar Prasad Yadav (Emp. no. 3515), Private Secretary, Grade-I, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of P.B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-11 Revised as per 7th Pay Commission) in the consequential vacancy to be occurred due to promotion of Sri S. Hasnain Akhtar.

The promoted officers shall be repatriated to their parent post in their respective cadre in case Sri T. Lakshman Kumar repatriates to his parent post (*i.e.* Deputy Registrar-cum- Private Secretary Grade-III) from the post of J.R.-cum-J.P.P.S. and the promotions shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court.

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

महोबा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

15 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 247/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम पचपहरा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1182/2 रकबा 0.235 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,06,400.00 (एक लाख छः हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा		पचपहरा	1182/2	हेक्टेयर 0.235 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 248/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम नटर्रा, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 नवीन परती की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 290 रकबा 0.552 हे0 में से 0.360 हे0 मालियत

रु0 2,08,800.00 (दो लाख आठ हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		नटर्रा	290	हेक्टेयर 0.552 में से 0.360	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा–नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.360		

सं0 249/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम फतेहपुर, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 नवीन परती की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 758 मि0 रकबा 1.014 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,32,800.00 (एक लाख बत्तीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		फतेहपुर	758-मि0	हेक्टेयर 1.014 में से 0.160	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.160		

सं0 250/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम रैवारा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 138 रकबा 0.206 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,06,400.00 (एक लाख छः हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा		रैवारा	138	0.206 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को कबरई ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.160		

16 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 255/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम मुड़वरा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 463 मि0 रकबा 2.449 हे0 में से 0.360 हे0 मालियत रु0 5,00,000.00 (पांच लाख रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के

अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा		महोबा	मुड़वरा	463 मि0	2.449 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा–सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

16 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 256/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम अटघार, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1153 मि0 रकबा 1.144 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 88,000.00 (अट्ठासी हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा		महोबा	अटघार	1153 मि0	1.144 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 257/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम अनघौरा, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 537ख रकबा 0.227 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 92,800.00 (बानवे हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	चरखारी		अनघौरा	537ख	0.227 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा—नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 258/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम सालट, परगना कुलपहाड़, तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ख कृषि योग्य बंजर (जंगलात ग्रामसमाज) की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 464 रकबा 2.180 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,48,00.00 (एक लाख अड़तालीस हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके

अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	चरखारी/कुलपहाड़		सालट	464	2.180 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ख कृषि योग्य बंजर (जंगलात ग्रामसमाज)	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा–सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.160		

सं0 259/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम इमिलियाडांग, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1396 रकबा 0.216 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 92,800.00 (बानवे हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	चरखारी		इमिलिया डांग	1396	0.216 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.160		

सं0 260/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम सूपा, परगना कुलपहाड़, तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1726 रकबा 0.396 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 33,520.00 (तैंतीस हजार पांच सौ बीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	चरखारी/कुलपहाड़		सूपा	1726	0.396 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.160		

16 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 273/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम सतारी, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1224/1 रकबा 5.455 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था

पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा		कुलपहाड़	सतारी	1224/1	5.455 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा–नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.160		

सं0 274/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम तेलीपहाड़ी, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 568/3 रकबा 0.930 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,30,680.00 (एक लाख तीस हजार छः सौ अस्सी रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा		कुलपहाड़	तेलीपहाड़ी	568/3	0.930 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा–काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.160		

सं0 275/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बेंदो, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-6-4 ऊसर के खाते में अंकित गाटा संख्या 1148 रकबा 10.117 हे0 में से रकबा 0.363 हे0 मालियत रु0 2,32,320.00 (दो लाख बत्तीस हजार तीन सौ बीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़		बेंदो	1148	10.117 में से 0.363	श्रेणी-6-4 ऊसर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा—काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.363		

सं0 276/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम दुलारा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 1104/3 रकबा 1.785 हे0 में से 0.250 हे0 मालियत रु0 1,60,000.00 (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था

पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा		कुलपहाड़	दुलारा	1104/3	1.785 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा–काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.250		

सं0 277/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम रूरीकला, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 425/2 रकबा 0.825 हे0 में से रकबा 0.250 हे0 मालियत रु0 2,32,500.00 (दो लाख बत्तीस हजार पांचे सौ अस्सी रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा		कुलपहाड़	रूरीकला	425/2	0.825 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा–काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.250		

सं0 278/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम भटेवरा खुर्द, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद

महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 279 रकबा 1.959 हे0 में से 0.360 हे0 मालियत रु0 2,30,400.00 (दो लाख तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा		कुलपहाड़	भटेवरा खुर्द	279	1.959 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा–नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.360		

सं0 279/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम रावतपुरा खुर्द, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 58 रकबा 0.202 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,40,000.00 (एक लाख चालीस हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा		कुलपहाड़	रावतपुरा खुर्द	58	0.202 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा–नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.160		

सं0 280/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम छतेसर, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 140/2 रकबा 0.203 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,34,400.00 (एक लाख चौतीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा		कुलपहाड़	छतेसर	140/2	0.203 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा—नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.160		

सं0 281/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम रिछा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 574 रकबा 3.274 हे0 में से 0.250 हे0 मालियत रु0 1,60,000.00 (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था

पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़		रिछा	574	3.274 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा–नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.250		

सं0 282/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम किल्हौवा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-6-4 बीहड़ की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 72 रकबा 0.611 हे0 में से 0.360 हे0 मालियत रु0 2,30,400.00 (दो लाख तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़		किल्हौवा	72	0.611 में से 0.360	श्रेणी-6-4 बीहड़	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा–नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.360		

सं0 283/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार,

जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम ठठेवरा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 300 रकबा 1.590 हे0 में से 0.250 हे0 मालियत रु0 1,60,000.00 (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		ठठेवरा	300	हेक्टेयर 1.590 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा–सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.250		

सं0 284/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बुड़ेरो, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 561 रकबा 0.283 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		बुड़ेरों	561	हेक्टेयर 0.283 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा–काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.160		

सं0 285/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम इन्द्रहटा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-6-4 बीहड़ की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 426/9 रकबा 2.168 हे0 में से 0.360 हे0 मालियत रु0 2,30,400.00 (दो लाख तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		इन्द्रहटा	426/9	हेक्टेयर 2.168 में से 0.360	श्रेणी-6-4 बीहड़	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा–सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.360		

सं0 286/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम कैथौरा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1125/ख रकबा 0.903 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		कैथौरा	1125 ख	हेक्टेयर 0.903 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा–सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.160		

सं0 287/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम महुआबांध, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-6-4 भूमि जो अन्य कारणों से अकृषिक हो (गैर मुमकिन) की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 401 रकबा 8.855 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,22,400.00 (एक लाख बाईस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा		कुलपहाड़	महुआबांध	401	हेक्टेयर 8.855 में से 0.160	श्रेणी-6-4 भूमि भूमि जो अन्य कारणों से अकृषिक हो (गैर मुमकिन)	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा—सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.160		

सं0 288/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम सिलालपुरा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 163/2 रकबा 0.405 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा		कुलपहाड़	सिलालपुरा	163/2	हेक्टेयर 0.405 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा—काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.160		

19 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 291/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम पसवारा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 308 रकबा 0.526 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,06,400.00 (एक लाख छः हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा		पसवारा	308	हेक्टेयर 0.526 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को कबरई ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

17 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 292/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम ग्योड़ी, परगना मुस्करा, तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 नवीन परती के खाते में अंकित गाटा संख्या 566 रकबा 0.926 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,94,400.00 (एक लाख चौरानवे हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा/मुस्करा		ग्योड़ी,	566	हेक्टेयर 0.926 में से 0.160	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 293/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम ढिकवाहा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-क बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 479 रकबा 0.263 हे0 में से रकबा 0.130 हे0 व गाटा संख्या 480 रकबा 320 हे0 में से 0.230 हे0 कुल रकबा 0.360 हे0 मालियत रु0 4,77,000.00 (चार लाख सतत्तर हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा		ढिकवाहा	489	0.263 में से 0.130	श्रेणी-5-1-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा—सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					480	0.320 में से 0.230		
					एक किता	0.360		

सं0 294/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बसौरा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 435 रकबा 0.301 हे0 में से 0.250 हे0 मालियत रु0 2,76,250.00 (दो लाख छिहत्तर हजार दो सौ पचास रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के

लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा		बसौरा	435	0.301 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा–सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.250		

सं0 295/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम खन्ना, परगना मौदहा, तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1109 रकबा 0.421 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 2,47,200.00 (दो लाख सैंतालीस हजार दो सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा/मौदहा		खन्ना	1109	0.421 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
				एक किता		0.160		

सं0 296/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम छानीखुर्द, परगना व तहसील चरखारी, जनपद

महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 375 रकबा 0.165 हे0 व 376/406 रकबा 0.203 हे0 मालियत रु0 2,13,440.00 (दो लाख तेरह हजार चार सौ चालीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		छानीखुर्द	375 376/406	हेक्टेयर 0.165 0.203 में से	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा–नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					दो किता	0.368		

सं0 297/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम ऐंचाना, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 887 रकबा 0.721 हे0 में से 0.250 हे0 मालियत रु0 2,61,250.00 (दो लाख इकसठ हजार दो सौ पचास रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		ऐंचाना	887	हेक्टेयर 0.721 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.250		

सं0 298/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम पुन्नियां, परगना मुस्करा, तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 नवीन परती भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 402/2 रकबा 0.551 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,13,400.00 (एक लाख तेरह हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी/मुस्करा		पुन्नियां	402/2	हेक्टेयर 0.551 में से 0.160	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 299/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम दयालपुरा, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 172क रकबा 1.052 हे0 में से 0.360 हे0 मालियत रु0 2,08,800.00 (दो लाख आठ हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		दयालपुरा	172क	हेक्टेयर 1.052 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा—नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 300/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम विंदावर जो खरेला का मजरा है, परगना मुस्करा, तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1950 रकबा 1.230 हे0 में से 0.250 हे0 मालियत रु0 2,79,000.00 (दो लाख उन्यासी हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी/मुस्करा		खरेला	1950	हेक्टेयर 1.230 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.250		

सं0 301/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम पाठा, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 752 रकबा 0.462 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 92,800.00 (बानवे हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		पाठा	752	हेक्टेयर 0.462 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 302/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम चन्दौली, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 100/2 रकबा 0.4380 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 92,800.00 (बानबे हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		चन्दौली	100/2	हेक्टेयर 0.438 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा—नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 303/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम रोशनपुरा, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-2 पुरानी परती भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 188 रकबा 1.022 हे0 में से 0.396 हे0 मालियत रु0 2,29,100.00 (दो लाख उन्तीस हजार एक सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		रोशनपुरा	188	हेक्टेयर 1.022 में से 0.396	श्रेणी-5-2 पुरानी परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.396		

सं0 304/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-

2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम गुढ़ा, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 नवीन परती की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 2531 रकबा 1.133 हे0 में से 0.360 हे0 मालियत रु0 5,56,200.00 (पांच लाख छप्पन हजार दो सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		गुढ़ा	2531	हेक्टेयर 1.133 में से 0.360	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा–नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 305/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम टोलापातर, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 469 रकबा 0.878 हे0 में से रकबा, 0.160 हे0 मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड		टोलापातर	469	हेक्टेयर 0.878 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा–काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सत्येन्द्र कुमार,
जिलाधिकारी, महोबा।

पी0एस0यू0पी0–38 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 19 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 28, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

25 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 526/इक्कीस-1(1)/वि0सहा0/2019-20–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित), की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत, आगरा ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2(डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुये शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले आवासीय भवनों को छोड़कर सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियाँ बनायी गयी हैं–

भवन उपविधि

1–अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2–ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिसूचित किया गया हो एवं जिसके अधिसूचित की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिसूचित क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3–विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4–मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद् के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5–निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन से निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6–भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गई लम्बवत् (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7–छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतः सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8–ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे-रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9–निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10–तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला, फिरा जाता हो।

11–फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12–भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13–ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14–ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जो कि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15–प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

(अ) अभियन्ता–अभियन्ता, जिला पंचायत, आगरा से है।

(ब) अवर अभियन्ता–इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है जिसको अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शें की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निर्देशित (Designated) किया गया हो।

16–कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा से है।

17–अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18–स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19–रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20–सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथास्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गई खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21–अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा से है।

22–जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17 (1) में संघटित जिला पंचायत, आगरा से है।

23–अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, आगरा से है।

24–बहु मंजिली भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहुमंजिल कहलायेगा।

25–मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और उसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

26–भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जायें एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टैन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जो कि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिए लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27–आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनके सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28–व्यावसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधायें जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29–संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्याधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणाम स्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30–भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31–पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों को प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं है, का तात्पर्य वही होगा, जो कि ऐसे शब्दों का National building Code एवं Bureau of Indian standards यथासंशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्राविधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत, आगरा के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिये परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां–

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार करना आवाश्यक नहीं होगा।

1–उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी–

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मी0 क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊंचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होगी, परन्तु

सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग-रोगन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुनः निर्माण के लिए।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

(व) मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड्ढा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे–

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्द्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1–स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा–

ले-आउट प्लान का पैमाना 1:500 होगा।

की-प्लान का पैमाना 1:1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1:100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2–प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद् का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा भू-स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(य) भू-स्वामी अथवा भू-स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे–आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊंचाई, सेक्सन स्ट्रक्चर विवरण, रेन हार्वेस्टिंग प्रणाली, वेसमेंट, लैण्डस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था, अग्नि निकास, जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3–बहुमंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी–

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने Location निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां–

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि–

(अ) प्रस्तावति भवन उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनायें आहत होती हों।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनायें भड़कानें का स्रोत Source of Annoyance अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)–

1– (क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर वेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहुमंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code), 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लाक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा, किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्राविधान किया जा सकता है, सेवा तल की अधिकतम उंचाई 2.4 मीटर होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिए भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(क) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत् उपकेन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3–(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्गमीटर से कम न होना चहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोई घर की ऊंचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एव 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए ।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4–(क)–पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रन्ट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भू-कम्परोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद् एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5–स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिये कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6–बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम–

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची–

आगरा।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)–

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत् होंगे–

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची के अनुसार जनपद में (मीटर)	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपद में (मीटर)
1	2	3	4	5	6
1	आवासीय भवन–				
	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन (प्रतिशत)	एफ0ए0आर0
1	2	3	4
3 (1)	भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 के मानक–		
	विभिन्न भू-उपयोगों हेतु भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 के मानक निम्नवत् होंगे–		
	1 **भू-खण्डीय विकास (आवासीय प्लाटेड)–**		
	(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र–		
	• 100 वर्गमीटर तक	75	2.00
	• 101-300 वर्गमीटर तक	65	1.75
	• 301-500 वर्गमीटर तक	55	1.50
	• 501-2,000 वर्गमीटर तक	45	1.25
	(ख) नये/अविकसित क्षेत्र–		
	• 100 वर्गमीटर तक	65	2.00
	• 101-300 वर्गमीटर तक	60	1.75
	• 301-500 वर्गमीटर तक	55	1.50
	• 501-2,000 वर्गमीटर तक	45	1.25
	2 **व्यवसायिक–**		
	(क) निर्मित विकसित क्षेत्र–		
	(I) नगर केन्द्र (सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट)	45	2.00
	(II) उपनगर केन्द्र/सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट/जोनल व्यवसायिक केन्द्र	50	1.75
	(III) अन्य व्यवसायिक	60	1.50
	(ख) नये/अविकसित क्षेत्र–		
	(I) नगर केन्द्र (सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट)	40	3.00
	(II) उपनगर केन्द्र/सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट/जोनल व्यवसायिक केन्द्र	45	2.50
	(III) अन्य व्यवसायिक	50	1.75
	टिप्पणी–अन्य व्यावसायिक के अन्तर्गत सेक्टर/नेवरहुड/स्थानीय स्तर के शापिंग सेन्टर बाजार स्ट्रीट तथा सुविधाजनक दुकानें शामिल होंगे।		
	3 **कार्यालय–**		
	(क) निर्मित क्षेत्र	50	1.50
	(ख) विकसित क्षेत्र	45	2.00
	(ग) नये/अविकसित क्षेत्र	40	2.50
	टिप्पणी–200 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के कार्यालय भवनों में उपरोक्त तालिका में निर्धारित भू-आच्छादन के स्थान पर बिल्डिंग इन्वेल्प लाइन तक भू-आच्छादन अनुमन्य होगा।		
	4 **शैक्षिक–**		
	(क) निर्मित विकसित क्षेत्र–		
	• प्राइमरी व नर्सरी स्कूल	35	1.00
	• हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट/उच्चतर संस्थायें	30	1.00
	(ख) नये/अविकसित क्षेत्र–		
	• नर्सरी स्कूल/प्राईमरी	40	1.20
	• हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट	35	1.20
	• डिग्री कालेज	35	1.50
	• तकनीकी प्रबंधन	35	2.00

1	2	3	4
5	**सामुदायिक एवं संस्थागत सुविधायें–**		
	(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र	40	1.50
	(ख) नये/अविकसित क्षेत्र–		
	• सामुदायिक केन्द्र, बारात घर एवं धार्मिक भवन	40	1.50
	• अन्य संस्थागत	30	2.00
6	**भण्डारण–**		
	(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र	35	0.80
	(ख) नये/अविकसित क्षेत्र–		
	• गोदाम	40	1.20
	• भवन निर्माण सामग्री यार्ड	30	0.60
7	**औद्योगिक–**		
	(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र		
	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
	• 100 तक	60	1.20
	• 101-450	60	1.20
	• 451-2000	55	1.00
	• 2001-12000	55	0.90
	• 12001-20000	50	0.85
	• 20000 से अधिक	50	0.80
	(ख) नये/अविकसित क्षेत्र–		
	• फ्लैटेड फैक्ट्रीज	50	1.50
	• लघु एवं हल्का उद्योग	60	1.00
	• वृहद उद्योग	40	0.80
8	**होटल–**		
	(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र–		
	• 3 स्टार तक	40	1.20
	• 5 स्टार एवं उससे अधिक	30	2.00
	(ख) नये/अविकसित क्षेत्र–		
	• 3 स्टार तक	40	1.50
	• 5 स्टार एवं उससे अधिक	30	2.50
9	**थोक व्यवसायिक–**		
	(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र–		
	• फल एवं सब्जी मण्डी	40	1.00
	• अन्य थोक व्यवसाय	60	1.20
	(ख) नये/अविकसित क्षेत्र–		
	• ग्रेन मार्केट	35	1.00
	• फल एवं सब्जी मण्डी	40	1.00
	• अन्य थोक व्यवसाय	50	1.50

स्पष्टीकरण–''नये/अविकसित क्षेत्र'' कालान्तर में ''विकसित क्षेत्र'' की श्रेणी में चिन्हित होने की स्थिति में ऐसे क्षेत्रों में स्थित भू-खण्डों हेतु भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0, ले-आउट/बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन के समय लागू भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 से कम नहीं होगा।

1	2	3	4
10	**चिकित्सा–**		
	(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र–		
	• क्लीनिक/डिस्पेन्सरी	35	1.50
	• नर्सिंग होम 50 शैय्याओं तक	35	1.50
	• अस्पताल 50-100 शैय्याओं से अधिक	35	1.50
	• अस्पताल 100 शैय्याओं से अधिक	35	1.50
	(ख) नये/अविकसित क्षेत्र–		
	• क्लीनिक/डिस्पेन्सरी	40	1.50
	• नर्सिंग होम 50 शैय्याओं तक	35	1.50
	• अस्पताल 50-100 शैय्याओं से अधिक	30	2.00
	• अस्पताल 100 शैय्याओं से अधिक	30	2.50
11	**सेवा-उद्योग–**		
	(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र–		
	• फिलिंग स्टेशन	10	0.10
	• फिलिंग स्टेशन-कम सर्विस स्टेशन	20	0.20
	(ख) नये/अविकसित क्षेत्र–		
	• पेट्रोल पम्प/सर्विस गैराज रिपेयर शॉप आदि	10	0.15
12	**उपयोगिता एवं सेवायें–**		
	(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र–	10	0.10
	(ख) नये/अविकसित क्षेत्र–	10	0.10
13	**खुले स्थल (पार्क एवं क्रीड़ा स्थल को छोड़कर)–**		
	(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र–	2.5	0.025
	(ख) नये/अविकसित क्षेत्र–	2.5	0.025
	(ग) नर्सरी	10	0.50
	(घ) बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00
	(ङ) फार्म हाउस	10	0.15
	(च) डेरी फार्म	10	0.15
	(छ) मुर्गा, सुअर, बकरी फार्म	20	0.30
	(ज) ए0टी0एम0	100	1.00

(I) भू-आच्छादन व तल क्षेत्रफल की गणना प्रस्तावित भू-खण्ड के क्षेत्रफल के एक स्तर के नीचे से प्रारम्भ करते हुये टेलिस्कोपिक ढंग से की जायेगी।

(II) व्यवसायिक एवं कार्यालय उपयोगों में 2.00 से अधिक एफ0ए0आर0 2500 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्डों पर ही अनुमन्य होगा।

(III) हाई-टेक टाउनशिप/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना में जोनल शापिंग सेन्टर हेतु अधिकतम भू-आच्छादन 50 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0 2.50 अनुमन्य होगा।

(IV) किसी भू-खण्ड के लिये उपरोक्तानुसार एफ0ए0आर0 की अनुमन्यता इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि 30 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा फ्रन्ट सेट-बैक के योग

के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी, परन्तु 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर स्थित भवनों हेतु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। भवन की अधिकतम ऊँचाई संरक्षित स्मारक/हैरीटेज स्थल से दूरी एयरपार्ट फनल जोन तथा अन्य स्टेट्युटरी प्रतिबन्धों से भी नियन्त्रित होगी।

(V) कुल क्षेत्रफल में से 18 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र तथा सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल को घटाते हुये अवशेष भूमि पर एफ0ए0आर0 देय होगा।

(VI) विभिन्न योजनाओं विशेष रूप से सिटी सेन्टर जोनल शापिंग सेन्टर तथा कार्यालय काम्पलेक्स की प्लानिंग एवं डिजाईनिंग करते समय व्यक्तिगत (Individual) भू-खण्डों हेतु अपेक्षित पार्किंग के अतिरिक्त, योजना के कुल क्षेत्रफल के 05 प्रतिशत भाग पर अलग से पार्किंग काम्पलेक्सेज की व्यवस्था करनी होगी।

(VII) यदि भू-स्वामी की निजी स्वामित्व की भूमि है अथवा प्राधिकरण/आवास परिषद् द्वारा आवंटित नहीं है तो उपरोक्त तालिकानुसार इस उपविधि के लागू होने के पूर्व अनुमन्य एफ0ए0आर0 से जितना अतिरिक्त एफ0ए0आर0 देय होगा, के लिये वर्तमान सर्किट रेट के 15 प्रतिशत की दर से सिटी डेवलपमेन्ट चार्जेज देय होंगे।

(VIII) वर्तमान विकसित कालोनियों/क्षेत्रों के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य बहुमंजिलें निर्माण की अनुमति इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के आधार पर विशिष्ट परिस्थितियों में देय होगी तथा ग्रुप हाउसिंग/अन्य बहुमंजिलें निर्माण की अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित निर्माण हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधायें यथा सड़कों/जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति तथा पार्क एवं खुले क्षेत्र आदि मानकों के अनुसार उपलब्ध है तथा उस क्षेत्र के ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से एकीकृत है। यदि ग्रुप हाउसिंग/अन्य बहुमंजिला निर्माण अनुमन्य किया जाता है तो ऐसे भवन मानचित्रों की स्वीकृति के समय वर्तमान वाह्य एवं आन्तरिक विकास व्यय का 50 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में लिया जाये वहां पर विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं हेतु कनेक्टीविटी प्रदान किये जाने की स्थिति में समानुपातिक विकास शुल्क देय होगा।

(IX) उपरोक्त तालिका में निर्दिष्ट एफ0ए0आर0 के अतिरिक्त ग्रुप हाउसिंग व्यवसायिक कार्यालय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधायें, भू-उपयोगों के लिये नियमानुसार क्रय-योग्य एफ0ए0आर0 अनुमन्य होगा।

(X) पूर्व विकसित योजनाओं/आवंटित भू-खण्डों में नियमानुसार क्रय योग्य एफ0ए0आर0 की गणना पुराने एफ0ए0आर0 की सीमा पर की जायेगी।

(XI) ग्रीन बिल्डिंग के प्राविधानों की पूर्ति करने की स्थिति में लीड/आई0जी0बी0सी0 द्वारा न्यूनतम गोल्ड रेटेड तथा ग्रेहा द्वारा न्यूनतम 4 सितारे रेटिंग की 5.0 प्रतिशत अतिरिक्त एफ0ए0आर0 निःशुल्क अनुमन्य होगा। इस हेतु आवेदक द्वारा उक्त संस्थाओं से रेटिंग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(XII) शासन द्वारा घोषित नीतियों यथा हाईटेक टाउनशिप नीति, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, न्यू टाउनशिप नीति, अफोर्डेबल हाउसिंग नीति, समाजवादी आवास योजना आदि हेतु भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 के मानक सम्बन्धित नीति के प्राविधानों के अनुसार होंगे।

3–(2) क्रय योग्य एफ0ए0आर0–

एफ0ए0आर0 को मार्केट डिमान्ड के अनुसार लचीला (Filexibil) बनाने हेतु निर्मित, विकसित तथा नये/अविकसित क्षेत्रों में क्रय-योग्य एफ0ए0आर0 निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा :

(क) निर्मित विकसित तथा नये/अविकसित क्षेत्र में 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर क्रय-योग्य एफ0ए0आर0 अनुमन्य होगा।

(ख) ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, मिश्रित, कार्यालय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधायें भू-उपयोगों के लिये व्यवस्थापना सुविधाओं के संवर्धन/सुदृढ़ीकरण की व्यवहारिकता तथा भवन निर्माण की अन्य अपेक्षाओं यथा सेट-बैक, पार्किंग, स्ट्राक्चरल एवं फायर सेफ्टी इत्यादि मानकों की पूर्ति सुनिश्चित होने की दशा में क्रय-योग्य एफ0ए0आर0 की अनुमन्यता सड़क की चौड़ाई के आधार पर निम्नवत् होगी–

क्षेत्र की प्रकृति	क्रय-योग्य या एफ0ए0आर0
• निर्मित क्षेत्र	• बेसिक एफ0ए0आर0 का 20 प्रतिशत
• विकसित क्षेत्र	• 18 मीटर एवं अधिक परन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बेसिक या एफ0ए0आर0 का 33 प्रतिशत • 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ0ए0आर0 का 50 प्रतिशत
• नये/अविकसित क्षेत्र	• 18 मी0 एवं अधिक परन्तु 24 मी0 से कम चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ0ए0आर0 का 33 प्रतिशत • 24 मी0 एवं अधिक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ0ए0आर0 का 50 प्रतिशत

टिप्पणी–निर्मित/विकसित क्षेत्र में स्थित ऐसे ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिलें भवन यथा–व्यवसायिक कार्यालय, मिश्रित उपयोग, संस्थागत/सामुदायिक सुविधायें भू-उपयोगों के भूखण्ड जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 4.0 हेक्टेयर हो एवं न्यूनतम 30.0 मी0 चौड़ी विद्यमान सड़क से पहुंच की सुविधा उपलब्ध है, के लिये भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अनुमन्य बेसिक एफ0ए0आर0 के ऊपर क्रय-योग्य एफ0ए0आर0 इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि क्रय-योग्य सहित अधिकतम एफ0ए0आर0 3.0 होगा। ग्रुप हाउसिंग में क्रय-योग्य एफ0ए0आर0 के सापेक्ष समानुपातिक आधार पर आवासीय इकाईयां अनुमन्य होंगी, जो प्रचलित घनत्व मानकों के अतिरिक्त होंगी।

3–(3) क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क की गणना निम्न फार्मूला के अनुसार की जायेगी–

$C=Le\times Rc\times P$

C= शुल्क (चार्ज)

Le= क्रय योग्य एफ0ए0आर0 हेतु अनुपातिक भूमि की आवश्यकता (वर्गमीटर) i, e, Fp ÷ FAR

FP= क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के अनुसार अनुमन्य तल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)

FAR= महायोजना/भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य तल क्षेत्रफल अनुपात (बेसिक एफ0ए0आर0)

Rc= भूमि की दर

नोट–भूमि की वर्तमान दर का तात्पर्य प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर से है, जहां प्राधिकरण की दर उपलब्ध नहीं है, वहां जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट से है।

P= क्रय योग्य फैक्टर

क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क की गणना हेतु भू-उपयोग के अनुसार गुणांक निम्नवत् होंगे–

क्र0सं0	भू-उपयोग श्रेणी	प्रस्तावित गुणांक
1	वाणिज्यिक	0.50
2	मिश्रित	0.45
3	कार्यालय/संस्थागत	0.45
4	होटल	0.40
5	आवासीय (ग्रुप हाउसिंग)	0.40
6	सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधायें एवं अवस्थापनायें	0.20

नोट–(I) प्लाटेड डेवलपमेंट (आवासीय) तथा औद्योगिक भू-उपयोग के लिये क्रय योग्य एफ0ए0आर0 केवल ग्रुप हाउसिंग के लिये अनुमन्य है।

(II) कार्यालय/संस्थागत भू-उपयोग के अन्तर्गत समस्त प्रकार के कार्यालय तकनीकी एवं प्रबन्धन संस्थायें शामिल होंगी।

(III) सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधायें एवं अवस्थापनाओं के अन्तर्गत स्कूल, चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, बारात घर/सामुदायिक केन्द्र आदि शामिल होंगे।

स्पष्टीकरण–क्रय-योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क की गणना हेतु विकास प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर/जिलाधिकारी के वर्तमान सर्किल रेट का आशय क्रय-योग्य एफ0ए0आर0 की अनुमन्यता हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन की तिथि को लागू दर से है।

3–(4) कम्पनसेटरी एफ0ए0आर0–

(I) महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में ''राइट-ऑफ-वे'' प्रभावित/सड़क विस्तारीकरण के अन्तर्गत आ रही भूमि अथवा जन सुविधाओं यथा ग्रीन बर्ज, ग्रीन बेल्ट, पार्क, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, पोस्ट आफिस, बस स्टैंड आदि हेतु आरक्षित भूमि से प्रभावित भू-खण्डों के लिये कम्पनसेटरी एफ0ए0आर0 अनुमन्य होगा। बशर्ते ऐसी भूमि, भू-स्वामी द्वारा प्राधिकरण/सम्बन्धित विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित कर दी जाये। कम्पनसेटरी एफ0ए0आर0 प्रभावित भूमि के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर होगा जिसका उपयोग उस भू-खण्ड की अवशेष भूमि-ले-आउट पर विभिन्न भू-उपयोगों में समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

(II) डिलीट किया जाता है।

3–(5) जैव-प्रौद्योगिकी इकाईयों को अतिरिक्त एफ0ए0आर0–

(I) पंजीकृत जैव प्रौद्योगिकी इकाईयां जो घोषित जैव प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एवं जिनके ले-आउट प्लान उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, विकास प्राधिकरण उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है को महायोजना/जोनल प्लान/भवन उपविधि/शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य एफ0ए0आर0 का अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त एफ0ए0आर0 अनुमन्य होगा।

(II) उपर्युक्त प्रस्तर (1) में उल्लिखित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों/औद्योगिक क्षेत्रों जिनके ले-आउट प्लान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, के अन्तर्गत स्थित इकाईयों को जनसंख्या घनत्व अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, विद्युत आपूर्ति आदि की उपलब्धता तथा पर्यावरण सम्बन्धी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त केस-टू-केस के आधार पर वर्तमान में अनुमन्य एफ0ए0आर0 का अधिकतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त एफ0ए0आर0 अनुमन्य होगा।

(III) पंजीकृत जैव प्रौद्योगिकी इकाईयों को उपरोक्त अतिरिक्त एफ0ए0आर0 की सुविधा सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने पर अनुमन्य होगी।

3–(6) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को अतिरिक्त एफ0ए0आर0–

(I) साफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क तथा सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को सामान्यतः अनुमन्य एफ0ए0आर0 में 50 प्रतिशत अधिक एफ0ए0आर0 अनुमन्य होगा। जिसकी सीमा यथास्थिति आवासीय/कार्यालय (जिसका भी एफ0ए0आर0 अधिक को) उपविधि/शासनादेशों में निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगा।

3–(7) भू-आच्छादन से छूट–

(I) आच्छादित क्षेत्र के अन्तर्गत उद्यान, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, खुला चबूतरा, चहारदीवारी, झूला, स्लाइड फव्वारा, अनाच्छादित जीना तथा अनुज्ञेय सीमा तक परगोला, छज्जे, बालकनी तथा पोर्च एवं आर्केड (जिसके ऊपर निर्माण न हो) सम्मिलित नहीं होंगे।

(II) 4000 एकड़ तक के व्यवसायिक, समूह आवास, संस्थागत, कार्यालय, सामुदायिक सुविधाओं उपयोग तथा अन्य बहुखण्डीय भवनों में आच्छादित क्षेत्र का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 50 वर्ग मीटर जबकि 4000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में अधिकतम 100 वर्गमीटर अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र प्रवेश द्वार के निकट गार्ड रूम (प्रवेश द्वार के निकट), जनरेटर रूम, इलेक्ट्रिक स्वीच रूम, मीटर रूम व ट्यूबवेल के लिये इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि अग्निशमन सुरक्षा की अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो।

(III) भवन में पहुंच मार्ग की ऊंचाई सड़क के मध्य से 0.30 मीटर से अधिक नहीं होगी। गाड़ी इत्यादि जाने हेतु के0सी0 ड्रोन के ऊपर बने रैम्प की लम्बाई भू-खण्ड की सीमा से 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।

3–(8) ऊँचाई का अपवाद–

भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क अथवा आस-पास के औसत भूतल से नापी जायेगी तथा निम्नलिखित सहायक संरचनायें भवन की ऊँचाई में सम्मिलित नहीं की जायेगी–

(I) छत पर टैंक और उनकी सहायक संरचनायें जो ऊँचाई में 2.0 मीटर से अधिक न हो, वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु छत पर आवश्यक संरचनायें, संवातन एयर कण्डीशनिंग उपकरण लिफ्ट रूम जो 4.5 मीटर से अधिक ऊँचा न हो और ऐसे अन्य सर्विस उपकरण, सीढ़ी जो ममटी से आच्छादित हो और 30 मीटर से अधिक ऊँची न हो चिमनी पैरापेट वाल और भवन के सौन्दर्यवृद्धि हेतु संरचनायें जो 1.5 मीटर से अधिक ऊँची न हों बशर्ते बरसाती को सम्मिलित करते हुये ऐसी संरचनाओं का कुल क्षेत्रफल भवन की उस छत जिस पर निर्माण है के क्षेत्रफल के एक तिहाई से अधिक न हो।

(II) एरोड्रोम के निकट स्थित भवनों की ऊँचाई भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार होगी।

3–(9) सर्विस फ्लोर–

भवन से सम्बन्धित पाइप्स, सर्विस डक्ट्स इत्यादि के उपयोग हेतु ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, कार्यालय, औद्योगिक, होटल, अस्पताल तथा मिश्रित उपयोग के।

(ज) सेट बैक (Set back)–

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामने (Front) मीटर	साईड (Side) मीटर	पीछे (Rear) मीटर	लैंड स्केपिंग (Landscaping)	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.50	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151–300	3.0	0.0	3.0	तदेव	25
3	301–500	4.5	3.0	3.0	तदेव	25
4	501–2000	6.0	3.0	3.0	तदेव	25
5	2001–6000	7.5	4.5	6.0	तदेव	25
6	6001–12000	9.0	6.0	6.0	तदेव	25
7	12001–20000	12.0	7.5	7.5	तदेव	50
8	200001–40000	15.0	9.0	9.0	तदेव	50
9	400001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदेव	50

किसी भी भवन की अधिकतम ऊँचाई इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि 30 मीटर से कम चौड़े मार्गों पर स्थित भवनों की अधिकतम ऊँचाई मार्ग की विद्यमान चौड़ाई तथा फ्रन्ट सेट-बैक के योग के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी, परन्तु 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर स्थित भवनों में यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। भवन की अधिकतम ऊँचाई संरक्षित स्मारक/हैरिटेज स्थल से दूरी, एयरपोर्ट फन्नेल जोन तथा अन्य स्टेट्युटरी प्रतिबन्धों से भी नियन्त्रित होगी।

यदि भवन दो या अधिक भिन्न चौड़ाई की सड़कों पर स्थित हो तब अधिक चौड़ी सड़क की ओर भवन का अग्र भाग माना जायेगा तथा उपरोक्त (II) अनुसार भवन की ऊँचाई अपेक्षाकृत कम चौड़े मार्ग के साथ 24 मीटर गहराई तक अनुमन्य होगी।

उपरोक्त प्रस्तर (I) के विकल्प में निम्न सेट बैक अनुमन्य किये जा सकते हैं–

(क) 24 मीटर ऊँचाई तक अनुवर्ती तलों पर एक सेट बैक के साथ भूतल पर चारों ओर का न्यूनतम सेट बैक 6 मीटर होगा।

(ख) 24 मी0 से 37.5 मी0 ऊँचाई तक अनुवर्ती तलों पर एक सेट बैक के साथ भूतल पर चारों ओर का न्यूनतम सेट बैक 9 मी0 होगा।

(ग) 37.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में अनुवर्ती तलों पर दो सेट बैक के साथ भूतल पर चारों ओर सेट बैक न्यूनतम 12 मीटर होगा।

(घ) प्रस्तर 3.45 की तालिका में दिये गये सेट बैक की कमी को ऊपरी तलों पर दिये गये सेट बैक से पूरा किया जायेगा, परन्तु अनुवर्ती तलों पर सेट बैक में कमरों या फ्लैट से कोई पहुँच नहीं होगी।

दो ब्लाकों के मध्य परस्पर दूरी उच्चतम ब्लाक की ऊँचाई के आधार पर उस हेतु वांछित सेट बैक अथवा 6 मीटर जो भी अधिक हो, होगी। 'ब्लाक' का तात्पर्य एक ऐसे भवन संरचना से है जो विभिन्न कमरों, फ्लैट्स/अपार्टमेंट्स या कार्यालयों या हाल/कक्ष में विभाजित हो और जिसके साझा क्षेत्र यथा-प्रवेश हाल, गलियारे, लिफ्ट, सीढ़ी, फायरस्केप आदि उस भवन विशेष का अखण्ड भाग हो तथा परस्पर निरन्तरता में हो।

12.5 मीटर ऊँचाई तक के भवनों हेतु सेट बैक में निम्नवत् छूट प्रदान की जा सकती है–

1–खुले स्थान में अधिकतम 1.5 मीटर तक की चौड़ाई का छत/छज्जे का निर्माण किया जा सकता है, जो खुले स्थान की चौड़ाई के आधे से अधिक नहीं होगा, जिसकी गणना एफ0ए0आर0 में नहीं की जायेगी। उक्त छत/छज्जे का निर्माण सम्पूर्ण खुले स्थान के क्षेत्रफल की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक अनुमन्य होगा, परन्तु उक्त छत/छज्जे के ऊपर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

2–ड्राइव-वे के ऊपर साइट सेट बैक में प्रवेश द्वार के निकट अधिकतम 3.0 मीटर चौड़े और 6.0 मीटर लम्बे प्रक्षेपित अथवा स्तम्भों पर अवलम्बित पोर्टिको का निर्माण अनुमन्य होगा। पोर्टिको के ऊपर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

अधिकतम 6.0 वर्ग मीटर क्षेत्र पर परगोला, जिसमें खुला भाग न्यूनतम 40 प्रतिशत होगा तथा ऊँचाई न्यूनतम 2.2 मीटर होगी।

(झ) पार्किंग स्थान–

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स

(ञ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेज–

1–तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा–संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यावसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्निशमन सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग (Carriage Way) का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग होगा।

2–अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से0मी0, राईजर अधिकतम 19 से0मी0, एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

3–अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

4–घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

5–उपरोक्त भवनों हेतु अग्निशमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6–उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code), 2005 भाग 4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन, स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी–

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	2	3	4
1	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7 + (0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज	1.8 + (0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त

(ठ) मोबाइल टावर्स की स्थापना–

क–मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

ख–जनरेटर केवल ''साइलेंट'' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।

ग–यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

घ–जहां अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ङ–सेवा ऑपरेटर कम्पनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी और भवन स्वामी का होगा।

च–इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो विकिरण, वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

छ–अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये सूची (1) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिये होगा तथा अप्रत्यर्पणीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार शुल्क का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष जमा कराने होंगे।

ज–शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें–

(क) शैक्षणिक भवन–

सूची (1) के अनुसार जनपदों में–सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रुपये 50.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ख) व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन–

सूची (1) के अनुसार जनपदों में–सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रुपये 100.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ग) (1) भूमि की प्लाटिंग–भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना।

(2) भूमि विकास–भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(3) भूमि का उपयोग–भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना, जैसे निर्माण सामग्री, कन्टेनर, ईंधन, आर0सी0सी0 पाईप आदि।

(4) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त ग-(1) से (4) तक, सूची (1) के अनुसार जनपदों में रु0 20.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगी।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होगी।

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की विभिन्न धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होंगी।

(झ) सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णतः प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें रु0 20.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

(ञ) सूची (1) के अनुसार जनपदों में बाउण्ड्रीवॉल स्वीकृति की दरें रु0 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

नोट–(शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)।

(ढ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया–

1–स्वामी द्वारा आवदेन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतीकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2–ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3–कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4–कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5–अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6–अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7–अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8–अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय, जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी, अन्यथा की दशा में धनराशि जब्त हो जायेगी।

9–जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकि जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10–अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकि दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकि आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या में संशोधन संलग्न करना होगा।

11–अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा।

12–आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13–उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14–यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क का मांग पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद–उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण, अध्यक्ष, जिला पंचायत को सन्दर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका यह आदेश उभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा। विवाद में प्रस्तावित उपविधि में अध्यक्ष, जिला पंचायत के आदेश के विरुद्ध पक्षकारों को अपील की अधिकारिता आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के यहां हो सकेगी।

(ण) सामान्य अनुदेश (General Instruction)–

1–भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊंचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2–भूखण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3–भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये, तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में शामिल नहीं होगा।

4–निकटतम हवाई अड्डा, चाहे विमानपत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हों के 5 कि0मी0 की परिधि में 30 मी0 से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5–उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो अधिकतम ऊंचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

6–उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समक्ष भवनों एवं गतिविधियों के लिये निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7–मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8–इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा, जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9–इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(त) अनुज्ञा की शर्तें–

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है, तो जिला पंचात द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह अभियन्ता, जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा यथारूप स्वीकार कर दें।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाइन वास्तुविद के अन्तर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

उपरोक्त उपविधियों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी/अन्य को उक्त किसी धारा या प्राविधान के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर वांछित दस्तावेजों/साक्ष्यों सहित अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय, जिला पंचायत, आगरा में स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करा सकता है।

(थ) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, आगरा यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रुपये 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किये जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा।

पी0एस0यू0पी0–38 हिन्दी गजट–भाग-3–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 19 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 28, 1942 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

18 अगस्त, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख ——————————
27 श्रावण, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/80/2017—**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रवादी प्रताप सेना से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री चन्द्रेश कुमार अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री चन्द्रेश कुमार को दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/उ0प्र0-वि0स0/80/भा0नि0आ0/नोटिस/टेरी0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया था :

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री चन्द्रेश कुमार को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुये अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री चन्द्रेश कुमार के पुत्र श्री निशान्त को दिनांक 18 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 07 अगस्त, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री चन्द्रेश कुमार द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री चन्द्रेश कुमार को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र संख्या 76/उ0प्र0-वि0स0/80/भा0नि0आ0/पत्र/टेरी0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उन्हें दिनांक 07 फरवरी, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 07 अगस्त, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री चन्द्रेश कुमार द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुये न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिये भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री चन्द्रेश कुमार विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिये कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।'';

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री चन्द्रेश कुमार, निवासी 359, सेक्टर-11, बसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* *18th August*, 2020 / *Shravana* 27,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/80/2017–WHEREAS, the General Election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017, dated 04 th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, Shri Chandresh Kumar, a contesting candidate of Rastravadi Pratap Sena from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/80/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Chandresh Kumar, for the following defects in accounts of his election expenses :–

(i) Bill Vouchers have not been presented in respect of items of election expenditure.

(ii) Bank Statement has not been submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Chandresh Kumar was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to Shri Nishant S/o Shri Chandresh Kumar, on 18th November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras, has submitted in his supplementary report, dated 07th August, 2019 that Shri Chandresh Kumar, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/80/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 01st October, 2019, which was served to him on 07th February, 2020 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 07th August, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Chandresh Kumar has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received

in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Chandresh Kumar has failed to lodge his acccounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Chandresh Kumar, Resident of 359, Sector 11, Basundhara, Gaziabad, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–38 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–23 निर्वाचन–17-12-2020–25 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 19 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 28, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मुरादनगर, गाजियाबाद

05 जुलाई, 2019 ई0

सं0 137/न0पा0प0मु0/2019-20–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद्, मुरादनगर, गाजियाबाद ने अपनी सीमा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 408/9-10-63ए/95-टी0सी0, दिनांक 22 फरवरी, 2010 के अनुपालन में उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके समस्त प्रकार के आवासीय एवं अनावासायिक भवनों एवं भूमि/भू-खण्ड पर स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत सम्पत्ति कर निर्धारण एवं नामान्तरण उपविधि प्रस्तावित करते है। नगरपालिका परिषद् बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 03, दिनांक 07 जुलाई, 2018 के आलोक्य में प्रस्तावित उपविधि का प्रकाशन नियमानुसार समाचार-पत्र एवं नोटिस बोर्ड पर करा कर प्रकाशन के उपरान्त 35 दिनों तक आम जनता के आपत्ति/सुझाव कार्यालय में आमन्त्रित किये गये। प्राप्त आपत्तियों/सुझाव का निस्तारण करने के उपरान्त बोर्ड प्रस्ताव संख्या 04, दिनांक 01 जून, 2019 द्वारा उपविधि को अन्तिम अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। इस उपविधि को ऐक्ट की धारा 301(1) के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

खण्ड (क)

नगरपालिका परिषद् मुरादनगर सम्पत्ति कर निर्धारण एवं नामान्तरण उपविधि, 2018

1–नाम–यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, मुरादनगर सम्पत्ति कर निर्धारण एवं नामान्तरण उपविधि, 2018 कहलायेगी, जो नगरपालिका परिषद् मुरादनगर की सीमा के अन्दर राजकीय गजट में प्रकाशित तिथि से लागू होगी।

2–अर्थ–स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत भवन/भूमि स्वामी स्वयं ही अपने भवन की माप कर इस उपविधि के खण्ड 'ख' में उल्लिखित दरों के आधार पर आंगणन कर भवन/भूमि पर सम्पत्ति कर निर्धारण कर सकेगा।

3–परिभाषाएं–इस नियमावली में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर–

(1) ''नगरपालिका परिषद् क्षेत्र'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, की सीमा के अन्तर्गत आने वाले उसके अधिसूचित क्षेत्र से है।

(2) ''नगरपालिका परिषद्, मुरादनगर'' से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-घ के खण्ड के उपखण्ड (क) के अधीन व उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन गठित नगरपालिका परिषद् से है।

(3) ''अध्यक्ष नगरपालिका'' परिषद् से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मुरादनगर की जनता द्वारा चुना गया अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

(4) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मुरादनगर में अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्त/कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।

(5) ''कर समाहर्ता या राजस्व लिपिक/निरीक्षक से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मुरादनगर में इन पदों पर कार्यरत कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक/निरीक्षक से है।

(6) ''भवन/भूमि'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मुरादनगर की सीमान्तर्गत स्थित भवन/भूमि से है।

(7) स्वकर निर्धारण प्रणाली से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 408/नौ-9-10-63अ/95-टी0सी0, दिनांक 22 फरवरी, 2010 एवं उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 135/9-9-11-190द्धि0रा0वि0आ0/04, दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश की समस्त निकायों में लागू किया गया है एवं आदेश संख्या 344/79-वि-1-11-1(क) 15-2011, लखनऊ दिनांक 11 मार्च, 2011 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(8) "आवासीय भवन" से तात्पर्य उस भवन से है जिसका प्रयोग उसके स्वामी/अध्यासी द्वारा निवास के रूप में किया जा रहा है। किन्तु होटल, लाज व वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले भवन शामिल नहीं है।

(9) ''व्यवसायिक भवन'' से तात्पर्य उस भवन से है जिसका प्रयोग व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में किया जा रहा है

(10) ''मिश्रित भवन'' से तात्पर्य उस भवन से है जिसका प्रयोग आवासीय के साथ-साथ व्यवसायिक गतिविधियों के रुप में भी किया जा रहा है।

(11) ''पक्का भवन'' से तात्पर्य उस भवन से है जिसकी छत आर0सी0सी0 या आ0-बी0 पद्धति से निर्मित हो तथा आधुनिक भवन निर्माण साम्रगी का प्रयोग किया गया है।

(12) ''अन्य पक्का भवन'' से तात्पर्य उस भवन से है जिसकी छत कड़ी पेटियों से निर्मित हो।

(13) ''कच्चा भवन'' से तात्पर्य उस भवन से है जिसकी छत अस्थाई साधनों यथा छप्पर, लोहा/सीमेन्ट की चादर आदि से निर्मित है।

(14) ''मासिक किराया दर'' से तात्पर्य इस उपविधि में भवनों/भूमि हेतु कारपेट आच्छादित क्षेत्रफल के लिए नगरपालिका द्वारा निर्धारित प्रति वर्ग फुट किराये से है।

(15) ''वार्षिक मूल्य'' से तात्पर्य पालिका अधिनियम की धारा 140 में उल्लिखित वार्षिक मूल्य से है।

(16) ''कारपेट एरिया'' से तात्पर्य उस क्षेत्रफल से है जैसा कि इस प्रयोजन के लिए दिनांक 11 मार्च, 2011 को उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(17) ''आच्छादित क्षेत्र'' का तात्पर्य नींव क्षेत्र पर जिस पर भवन का सनिर्माण किया जाता है, प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्र से है।

(18) ''मोहल्ले की श्रेणी'' से तात्पर्य, मोहल्ले में विकास की स्थिति, भवनों की स्थिति, नाली, सड़क, स्थानीय लोगों के रहन-सहन एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजनों के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर नगरपालिका द्वारा नियत की गयी, से है।

(19) ''मार्ग की चौड़ाई'' से तात्पर्य सार्वजनिक मार्ग के दानों ओर स्थित सरकारी नाला/नाली के मध्य की दूरी से है।

4–कारपेट क्षेत्रफल की गणना विधि–प्रत्येक तल के लिए कारपेट क्षेत्र की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी–

(1) **कक्ष**–आंतरिक आयाम की पूर्ण माप (वर्ग फुट में)।

(2) **आच्छादित बरामदा**–आंतरिक आयाम की पूर्ण माप (वर्ग फुट में)।

(3) **बाल्कनी, गलियारा, रसोईघर और भण्डार गृह**–आंतरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप (वर्ग फुट में)।

(4) **गैराज**–आंतरिक आयाम की 25 प्रतिशत माप (वर्ग फुट में)।

(5) स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–उत्तर प्रदेश शहरी भवन 'किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन' अधिनियम, 1972 के प्रयोजनों के लिए किसी भवन का मानक किराया, अनुबंधित किराया या युक्ति-युक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

5–वार्षिक मूल्य की गणना विधि–

(1) आवासीय भवन/भूमि का वार्षिक मूल्य = 12 × खण्ड (ख) उपनियम (2) के अधीन नियत क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर × भवन का कारपेट एरिया।

या

आवासीय भवन/भूमि का वार्षिक मूल्य = 12 × खण्ड (ख) उपनियम (2) के अधीन नियत क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर × भवन के आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत।

(2) अनावासीय/व्यवसायिक भवन का वार्षिक मूल्य = 12 × खण्ड (ख) उपनियम (3) के अधीन नियत क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर × भवन का कारपेट एरिया।

या

अनावासीय/व्यवसायिक भवन का वार्षिक मूल्य = 12 × खण्ड (ख) उपनियम (3) के अधीन नियत क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर × भवन के आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण–मिश्रित भवनों के लिए वार्षिक मूल्य, आवासीय एवं व्यवसायिक दोनों के वार्षिक मूल्य की अलग-अलग गणना के योग के बराबर होगा।

6–वार्षिक मूल्य के आधार पर आंगणिक कर से सम्बन्धित आधार भूत तथ्य–

(1) प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर इस प्रकार होगा जैसी कि नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार भवन एवं भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर नियत किया जायेगा। यदि 2 वर्षों के उपरान्त प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दरों का परिवर्तन नहीं किया जाता है तो वर्तमान उपविधि के खण्ड (ख) के नियम 2 में निर्धारित प्रथम प्रयोज्य दरों को आधार मानते हुये अग्रिम प्रति 2 वर्षों हेतु न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि से मूल्यांकन किया जायेगा। उपविधि के खण्ड (ख) के नियम 1 एवं 2 का यथाआवश्यकता गजट/प्रकाशन पृथक् से किया जा सकता है।

(2) अधिशासी अधिकारी द्वारा नगरपालिका परिषद् क्षेत्र या उसके भाग में उपविधि में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर का निर्धारण एवं कर निर्धारण सूची तैयार करवाई जायेगी।

(3) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी भवन एवं भूमि के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपने देनदारी का निर्धारण स्वयं किया जा सकता है और ऐसा करने में वह धारा 140 के उपबंधों के अनुसार भवन के वार्षिक मूल्य का अवधारण स्वयं कर सकता है और अपने द्वारा इस रीति से इस प्रकार निर्धारित कर के साथ ऐसे स्वनिर्धारित विवरण प्रपत्र में, जैसा कि नगरपालिका परिषद निर्धारित करे, जमा कर सकता है।

(4) वार्षिक कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक भवन एवं भूमि स्वामी या अध्यासी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में नगरपालिका परिषद् द्वारा निर्धारित विवरणी भर कर प्रस्तुत करेगा। यदि भवन नवनिर्मित है तो निर्माण पूर्ण होने के 15 दिवस के भीतर पूर्ण विवरण-पत्र नगरपालिका परिषद् कार्यालय में जमा करेगा। अधिशासी अधिकारी द्वारा विवरणी में दर्ज सूचनाओं की शुद्धता का परीक्षण कराने हेतु प्राधिकृत कार्मिक/कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक/राजस्व निरीक्षक से भवन की जांच कराई जा सकती है।

(5) बिना समुचित कारण के उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने में विफल रहने या भवन से सम्बन्धित किसी प्रकार का तथ्त छिपाने पर, कोई व्यक्ति रु0 1,000.00 से 10,000.00 तक शास्ति भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(6) उपधारा (5) एवं अधिनियम में विनिर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन एवं अधिनियम की धारा 140, 141, 142, 143, 144, 147 व 149 का प्रवर्तन अधिशासी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(7) सम्पत्ति कर की स्वकर प्रणाली लागू करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासी के सम्बन्ध में सर्वे कराया जायेगा। सर्वेक्षण में समस्त सम्पत्तियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जायेगी। यदि किसी एक भवन में आवासीय एवं व्यवसायिक दोनों गतिविधियां पायी जाती हैं तो अनावासीय/व्यवसायिक भवन को बटे में विविष्ट पहचान संख्या आवंटित की जायेगी। जिन भवनों/भूमियों के सम्बन्ध में स्वमित्व सम्बन्धी विवाद हैं अथवा सर्वे में जिनके स्वामियों का पता नहीं चलता है तो सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व ऐसे भवनों में रहने वाले किरायेदार/अध्यासी का ही होगा।

7–सम्पत्ति कर व जलकर की दर–

भवन एवं भूमि के सापेक्ष आंगणिक वार्षिक मूल्यांकन का 10 (दस) प्रतिशत संपत्ति कर व 10 (दस) प्रतिशत जलकर निर्धारित होगा।

8–वार्षिक मूल्य के निर्धारण में छूट–

(1) **स्व अध्यासित भवनों के लिये वार्षिक मूल्य–**भूमि और स्वमी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन, जो कि दस वर्ष से अनधिक पुराना हो, के मामले में उपविधि की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित वार्षिक मूलय से

25 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह 10 वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो उसे 32.5 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना तो वह अवधारित वार्षिक मूल्य से 40 प्रतिशत कम समझा जायेगा।

(2) किराये पर दिये गये भूमि एवं आवासीय भवन, जो कि दस वर्ष से अनधिक पुराना हो, के मामले में उपविधि की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 25 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 10 वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो उसे 12.5 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना तो वह अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

(3) किराये पर दिये गये व्यवसायिक भवन का मूल्यांकन, अनुबंध में उल्लिखित वास्तविक किराये या उपविधि की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य, जो अधिक हो, पर किया जायेगा।

9–कर निर्धारण सूची का अधिप्रमाणन और उसकी अभिरक्षा–

(1) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा।

(2) इस प्रकार अधिप्रमाणित प्रत्येक सूची को नगरपालिका परिषद् के कार्यालय में जमा किया जायेगा।

10–सम्पत्ति कर जमा करने के सम्बन्ध में प्रावधान–

(1) भवन एवं भूमि के स्वामियों द्वारा 30 सितम्बर, तक चालू मांग का सम्पत्ति कर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगा।

(2) भवन एवं भूमि के स्वामियों द्वारा 30 नवंबर तक चालू मांग का सम्पत्ति कर जमा करने पर 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(3) भवन एवं भूमि के स्वामियों द्वारा 30 नवंबर के बाद 31 मार्च तक चालू मांग का सम्पत्ति कर जमा करने पर न तो कोई छूट दी जायेगी और न ही ब्याज आरोपित किया जायेगा। परन्तु 31 मार्च के पश्चात् सम्पत्ति कर जमा करने पर अर्थ दण्ड के रूप में 2 प्रतिशत मासिक चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा। ब्याज की गणना करों को जमा करने की तिथि से संबंधित माह की अंतिम तिथि तक की जायेगी ।

(4) करों से संबंधित धनराशि सीधे निकाय के बैंक खाते में जमा करने के संबंध में परिस्थितिजन्य निर्णय लेने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

(5) नगरपालिका परिषद् की अन्य उपविधियों/अधिनियम/शासनादेशों आदि का उल्लंघन करने पर आरोपित शास्तियों को उल्लंघनकर्ता के सम्पत्ति कर खाते में अवशेष देनदारी के रुप में दर्ज किया जा सकता है एवं अवशेष करों/शास्तियों/देयताओं के संबंध में अधिशासी अधिकारी को यह विश्वास होने पर कि पर्याप्त समय के उपरान्त भी करदाता द्वारा देनदारियां नहीं चुकायी गयी हैं, समस्त देनदारियों को भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूले जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

11–कर मुक्ति प्रावधान–

भवन एवं भूमि दोनों के वार्षिक मूल्य पर सम्पत्ति कर का उद्ग्रहण, नगरपालिका परिषद् सीमा में स्थित निम्नलिखित को छोड़कर, समस्त भवनों और भूमि के संबंध में किया जायेगा–

(1) मृतकों के निस्तारण से संबंधित प्रयोजनों के लिए अनन्य रुप से प्रयुक्त भवन या भूमि;

(2) भवनों और भूमि या उसके भाग, जिसका अधिभाग और उपयोग अनन्य रुप से सार्वजनिक पूजा या धर्मार्थ प्रयोजनों, अनुसंधान एवं विकास के सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं के मैदान, कृषि क्षेत्र और उद्यान, सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के खेल के मैदान या क्रीड़ा स्टेडियम के लिये किया जाता हो;

(3) भवन, जिनका उपयोग अनन्य रूप से विद्यालय या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में प्रयोग किया जाता हो, चाहे वे राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हों अथवा न हों। शैक्षणिक गतिविधियों से इतर परिसर कर मुक्ति दायरे से बाहर होंगे;

(4) किसी भी स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा आवासीय भवन, जो तीस वर्ग मीटर माप वाले या पन्द्रह वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्रफल वाले भूखण्ड पर निर्मित हो, परन्तु उसके स्वामी के स्वामित्व में नगरपालिका परिषद की सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन न हो;

(5) किसी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन, जो ऐसे क्षेत्र में स्थित हो जिसे पांच वर्ष के भीतर नगरपालिका परिषद्/पालिका की सीमा के भीतर सम्मिलित कर लिया गया हो या जहां उस क्षेत्र में सड़क, पेयजल और मार्गप्रकाश की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी हो, इसमें से जो भी पहले हो;

(6) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाषित प्राचीन संस्मारक, जो किसी ऐसे संस्मारक के संबंध में राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्यधीन हो।

(7) भारत संघ में निहित भवन और भूमि, सिवाय वहां के जहां भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के खण्ड (2) के उपबंध लागू होते हों।

12–विशेष वर्गों के लिये प्रावधान–

जहां नगरपालिका परिषद् की राय में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विधवा, विकलांग एवं गरीब, भवन एवं भूमि के स्वामी की असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपयुक्त रूप से गणना की गयी अत्यधिक हो, वहां नगरपालिका परिषद किसी भी कम धनराशि पर जो उसे साम्यापूर्ण प्रतीत हो, वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है। प्रतिबंध यह है कि वार्षिक मूल्य शून्य नहीं किया जा सकता है।

13–शास्ति एवं अर्थदण्ड–

इस उपविधि के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने अथवा भवन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने पर भवन स्वामी/भूमि स्वामी पर रु0 1,000.00 से रु0 10,000.00 तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा।

14–उपसंहार–

इस उपविधि के प्रचलन में आते ही नगरपालिका परिषद् की पूर्व में प्रचलित गृहकर उपविधि/सम्पत्ति कर उपविधि स्वतः ही खण्डित मानी जायेगी। यद्यपि कि पूर्व प्रचलित उपविधि के अन्तर्गत सभी अवशेष देयताओं की वसूली की जायेगी।

खण्ड (ख)

1–नगर में स्थित विभिन्न मोहल्लों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण–

ए श्रेणी के मोहल्ले–पड़ाव बस स्टैण्ड, बस स्टैण्ड दक्षिण, डागर विहार फेस–1, विजय मण्डी, अग्रसेन मार्किट (विवेकानन्द रोड) किसान गुड़ मण्डी, मलिक नगर, प्रीत विहार, सुभाष मण्डी, कालोनी, मास्टर कालोनी, कृष्णा कालोनी।

बी श्रेणी के मोहल्ले–उखलारसी, न्यू हाईडिल कालेनी, जीतपुर, रेलवे कालोनी, डिफेंस कालोनी, आर्दश नगर, ब्रजविहार कालोनी, गुलशन कालोनी, सन्तोष विहार, चर्च कालोनी, न्यू हॉस्पिटल कालोनी, विकास क्षेत्र कालोनी, पुरानी विद्युत कालोनी, संतोष सिटी, मो0 टावर वाला, न्यू डिफेंस कालोनी, शंकर विहार, सरस्वती विहार, मौ0 खटिकान बस्ती, मौद्ध बाल्मिकान बस्ती, गुड़ मण्डी पुरानी, ममता टेक्सटाइल्स खड़जा, बस्ती सक्कान, मौ0 धोबियान रावली रोड उत्तर, पाइपलाइन, जवाहर मण्डी, कोली बस्ती, अग्रसन बस्ती, अगसेन विहार फेज-1।

सी श्रेणी के मोहल्ले–कच्ची सराय, मौ0 जाटव, गली सक्खान, मौ0 सराय मनिहारान, मौ0 गडरियान, ब्रम्हपुरी, इन्द्रापुरी सत्यलोक आश्रम, नवीन मण्डी, भूड़ शीतलपुरी, मौ0 पठानान, मौ0 चोपाल वाला जाटव/पठानान, ईदगाह बस्ती, आर्यनगर, शीतलपुरी दरगाह, नूरगंज, मौ0 बाल्मिकान, मौ0 गजबखान, मौ0 कुम्हारान, मौ0 फकीरान, मौ0 बड़ा मन्दिर खटीकान, मौ0 गली लुहार, मौ0 कटरा, मौ0 कोट, मौ0 बड़ी मस्जिद मुगलियान, मौ0 झील बस्ती, रिंग रोड सितारा मस्जिद, भारत नगर मुरादनगर, गली तेलियान, मौ0 बड़ा मंदिर, सराय पुख्ता काली गली, मौ0 महाजनान, मौ0 तेलियान, मौ0 दरगाह बस्ती, मौ0 व्यापारियान।

नोट–उक्त वर्णित मोहल्लों के अतिरिक्त कोई नया मोहल्ला या छूटा हुआ मोहल्ला उसके पास में स्थित मोहल्ले में सम्मिलित माना जायेगा। मोहल्ले का श्रेणीकरण जिला गाजियाबाद में जिला कलेक्टर द्वारा लागू उ0प्र0 (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (संशोधित वर्ष 2013) के अधीन प्रसारित वार्षिक पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची (प्रभावित दिनांक 08 अगस्त, 2017) के आधार पर किया गया है।

2–नगर में स्थित विभिन्न श्रेणी के मोहल्लों में स्थित आवासीय भवनों/भूमि हेतु मार्ग की चौड़ाई के आधार पर स्वकर निर्धारण हेतु प्रस्तावित मासिक किराया दर (रु0 प्रति वर्ग फुट में)।

मासिक किराया दर (रु0 प्रति वर्ग फुट में)

मोहल्ले की श्रेणी	6 मीटर से कम मार्ग चौड़ाई				6 मीटर से 9 मीटर तक मार्ग चौड़ाई				9 मीटर से अधिक मार्ग चौड़ाई			
	भूमि	कच्चा भवन	अर्ध पक्का भवन	पक्का भवन	भूमि	कच्चा भवन	अर्ध पक्का भवन	पक्का भवन	भूमि	कच्चा भवन	अर्ध पक्का भवन	पक्का भवन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ए	0.30	0.70	1.20	1.70	0.50	1.20	1.50	2.10	0.60	1.50	2.00	2.50
बी	0.20	0.40	0.70	1.20	0.40	1.00	1.20	1.50	0.50	1.10	1.50	2.00
सी	0.10	0.20	0.50	0.80	0.30	0.60	1.00	1.20	0.40	0.70	1.10	1.50

नोट—मासिक किराया दर का निर्धारण जिला गाजियाबाद में जिला कलेक्टर द्वारा लागू उ0प्र0 (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (संशोधित वर्ष 2013) के अधीन प्रसारित वार्षिक पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची (प्रभावी दिनांक 08 अगस्त, 2017) के आधार पर किया गया है।

3—नगर में स्थित विभिन्न श्रेणी के मोहल्लों में स्थित अनावासीय/व्यवसायिक भवनों/भूमि हेतु मार्ग की चौड़ाई के आधार पर स्वकर निर्धारण हेतु प्रस्तावित मासिक किराया दर (रु0 प्रति वर्ग फुट में)।

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासीय भवन की मासिक किराये की दर
1	2	3
1	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्य काम्पैक्स, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठान, बैंक कार्यालय, होटल, तीन स्टार तक के होटल, निजी होटल, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर)	खण्ड (ख) उपनियम (2) के अधीन नियत दर का पांच गुना।
2	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पौलीक्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालायें, नर्सिंगहोम, चिकित्सालय मेडीकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि	खण्ड (ख) उपनियम (2) के अधीन नियत दर का तीन गुना।
3	क्रीड़ा केन्द्र, यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेटर तथा सिनेमागृह।	खण्ड (ख) उपनियम (2) के अधीन नियत दर का दो गुना।
4	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम की धारा 177 के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं है।	खण्ड (ख) उपनियम (2) के अधीन नियत दर के समान।
5	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम	खण्ड (ख) उपनियम (2) के अधीन नियत दर का तीन गुना।
6	मॉल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह, जहां भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है	खण्ड (ख) उपनियम (2) के अधीन नियत दर का छः गुना।
7	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह स्थल, क्लब और इसी प्रकार के भवन	खण्ड (ख) उपनियम (2) के अधीन नियत दर का तीन गुना।
8	औद्योगिक इकाइयां, सरकारी और अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	खण्ड (ख) उपनियम (2) के अधीन नियत दर का तीन गुना।
9	टावर और होर्डिंग्स वाले भवन, टी0वी0 टावर, दूर संचार टावर, या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं।	खण्ड (ख) उपनियम (2) के अधीन नियत दर का चार गुना।
10	अन्य प्रकार के अनावासीय भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं है।	खण्ड (ख) उपनियम (2) के अधीन नियत दर का तीन गुना।

खण्ड (ग)

सम्पत्ति के हस्तानांतरण सम्बन्धी नियम/सम्पत्ति रजिस्टर में नाम परिवर्तन सम्बन्धी नियम

(1) पालिका अभिलेखों में स्वामित्व परिवर्तन हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र अंकन रु0 10.00 शुल्क जमा कराकर प्राप्त करना होगा। जिन भवनों का रजिस्ट्री मूल्यांकन रु0 5,00,000.00 तक होगा, उन भवनों का स्वामित्व परिवर्तन शुल्क रु0 500.00, रु0 5,00,000.00 से रु0 10,00,000 रजिस्ट्री मूल्यांकन के भवनों पर रु0 2,000.00 तथा रु0 10,00,000 से अधिक रजिस्ट्री मूल्यांकन के भवनों पर रु0 5,000.00 स्वामित्व परिवत्रन शुल्क जमा करना होगा। वसीयत/विरासत के आधार पर गृहकर जलकर अभिलेखों में नामान्तरण कराने पर रु0 1,000.00 नामान्तरण शुल्क जमा करना होगा। नामान्तरण हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 147 के अन्तर्गत नोटिस स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित कराने हेतु रु0 100.00 पृथक् से जमा कराने होंगे।

3—नामान्तरण के आवेदन का निस्तारण अधिकतम 3 माह के अन्दर कर दिया जायेगा।

विकास चौधरी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, मुरादनगर,
गाजियाबाद।

कार्यालय, नगर पंचायत, फूलपुर, आजमगढ़

11 अगस्त, 2020 ई0

सं0 746/न0पं0फू0/2020-21–शासन/प्रशासन द्वारा नगर पंचायतों के आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 128 (1) के उपखण्ड (13-ख) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, फूलपुर ने अपनी सीमा के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण विलेखों पर कर उगाहने हेतु नगर पंचायत, फूलपुर की बोर्ड की बैठक दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को प्रस्ताव संख्या 08 के द्वारा सर्वसम्मत से नियमावली बनाये जाने के निर्णय के क्रम में दिनांक 11 अगस्त, 2020 को प्रकाशित कराकर 30 दिनों के अन्दर आपत्तियों हेतु सूचित किया गया किन्तु उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई पुनः दिनांक 11 अक्टूबर, 2020 को उपरोक्त उपविधि को अन्तिम रूप से प्रकाशित किया गया। आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में सरकारी गजट में प्रकाशन कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह उपविधि अन्तिम रूप से लागू करने हेतु नगर पंचायत फूलपुर (आजमगढ़) द्वारा स्वीकृत की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी –

नियमावली

1–**संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति**–

(1) यह नियमावली नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली कहलायेगी।

(2) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगी, जब से नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर लगाया जाये।

(3) यह नगर में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समस्त लेखों पर प्रवृत्त होंगी।

2–**परिभाषाएं–**

विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 2, 1916) से है।

(ख) ''नगर'' का तात्पर्य नगर पंचायत, फूलपुर से है।

(ग) ''शुल्क'' का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या 2, सन् 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ) ''इण्डियन स्टाम्प एक्ट'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित, इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 से है।

(ङ) ''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत, फूलपुर, आजमगढ़ से है।

(च) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत, फूलपुर, आजमगढ़ के अधिशासी अधिकारी से है।

(छ) ''कर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (13-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3–नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भोग बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।

4–कर लगाने की प्रक्रिया उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रासंगिक व्ययों को यदि कोई हो काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी–

(1) जब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज निबन्धन के लिये प्रस्तुत किये जाये तो निबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा 27 में निर्दिष्ट ब्योरे निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् दिये गये हैं–

(क) नगर के भीतर सम्पत्ति, और

(ख) नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

(2) यदि ऐसे ब्योरे दस्तावेज में पृथक्-पृथक् दिये गये हों, तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा 128-क की उपधारा (4) धारा नगरपालिकाओं पर यथाप्रवृत्त इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।

5–**कर के लेखे रखना**–निबन्धक अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् लेखे रखेगा, जिसमें वह शुल्क और कर दिखायेगा।

6–निबन्धन अधिकारी, जो दीवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियां प्राप्त करें और इण्डियन रजिस्ट्रेशन (ऐक्ट संख्या 16, 1908) की धारा 89 के अधीन उन्हें अपनी पुस्तक संख्या-1 में नत्थी करें। राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा करेंगे।

7–निबन्धन अधिकारी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पृथक्-पृथक् तिमाही विवरण-पत्र तैयार करेगा, जिससे वह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूल की गई धनराशि दिखायेगा और उसे जिला निबन्धक को उपर्युक्त प्रत्येक महीने के पांचवे दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

8–जिला निबन्धक ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक महीने के दसवें दिनांक तक तिमाही विवरण की प्रतिलिपियां निम्नलिखित को भेजेगा–

(1) निबन्धन महानिरीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद

(2) अपर सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, इलाहाबाद,

(3) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत और

(4) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

9–(1) नगर पंचायत की ओर से उगाही गयी कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों जो राज्य सरकार द्वारा समस-समय पर निर्धारित किये जायें काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में पालिकाओं को लौटा दी जायेगी। प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को फाईनेन्शियल हैण्ड बुक स्वीकृत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदान का धनराशि प्राप्त करेगा।

(2) पालिका निबन्धन एवं स्टाम्प विभाग के कर्मचारी को ऐसे मासिक पारिश्रमिक का भुगतान भी करेगा, जो नगरपालिका परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करें।

10–**अभिलेखों का निरीक्षण**–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगरपालिका को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, फूलपुर,
आजमगढ़।

कार्यालय, नगर पंचायत, माहुल, आजमगढ़

11 अगस्त, 2020 ई0

सं0 मेमो/न0पं0मा0/2020-21–शासन/प्रशासन द्वारा नगर पंचायतों के आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 128 (1) के उपखण्ड (13-ख) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, माहुल ने अपने सीमा के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण विलेखों पर कर उगाहने हेतु नगर पंचायत, माहुल की बोर्ड की बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2018 को प्रस्ताव संख्या 03 के द्वारा सर्वसम्मत से नियमावली बनाये जाने के निर्णय के क्रम में दिनांक 11 अगस्त, 2020 को प्रकाशित कराकर 30 दिनों के अन्दर आपत्तियों हेतु सूचित किया गया किन्तु उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई पुनः दिनांक 11 अक्टूबर, 2020 को उपरोक्त उपविधि को अन्तिम रूप से प्रकाशित किया गया। आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में सरकारी गजट में प्रकाशन कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह उपविधि अन्तिम रूप से लागू करने हेतु नगर पंचायत, माहुल (आजमगढ़) द्वारा स्वीकृत की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी –

नियमावली

1–**संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति**–

(1) यह नियमावली नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली कहलायेगी।

(2) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगी, जब से नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर लगाया जाये।

(3) यह नगर में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समस्त लेखों पर प्रवृत्त होंगी।

2–**परिभाषाएं–**

विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 2, 1916) से है।

(ख) ''नगर'' का तात्पर्य नगर पंचायत, माहुल से है।

(ग) ''शुल्क'' का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या 2, सन् 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ) ''इण्डियन स्टाम्प एक्ट'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित, इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 से है।

(ङ) ''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत, माहुल, आजमगढ़ से है।

(च) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत, माहुल, आजमगढ़ के अधिशासी अधिकारी से है।

(छ) ''कर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (13-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3–नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भोग बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।

4–कर लगाने की प्रक्रिया उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रासंगिक व्ययों को यदि कोई हो काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी–

(1) जब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज निबन्धन के लिये प्रस्तुत किये जाये तो निबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा 27 में निर्दिष्ट ब्योरे निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् दिये गये हैं–

(क) नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति, और

(ख) नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

(2) यदि ऐसे ब्योरे दस्तावेज में पृथक्-पृथक् न दिये गये हों, तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा 128-क की उपधारा (4) नगरपालिकाओं पर यथाप्रवृत्त इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।

5–**कर के लेखे रखना**–निबन्धक अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् लेखे रखेगा, जिसमें वह शुल्क और कर दिखायेगा।

6–निबन्धन अधिकारी, जो दीवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियां प्राप्त करें और इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 (एक्ट संख्या 16, 1908) की धारा 89 के अधीन उन्हें अपनी पुस्तक संख्या-1 में नत्थी करें। राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा करेंगे।

7–निबन्धन अधिकारी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पृथक्-पृथक् तिमाही विवरण-पत्र तैयार करेगा, जिससे वह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूल की गई धनराशि दिखायेगा और उसे जिला निबन्धक को उपर्युक्त प्रत्येक महीने के पांचवे दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

8–जिला निबन्धक ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक महीने के दसवें दिनांक तक तिमाही विवरण की प्रतिलिपियां निम्नलिखित को भेजेगा–

(1) निबन्धन महानिरीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद

(2) अपर सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, इलाहाबाद,

(3) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत और

(4) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

9–(1) नगर पंचायत की ओर से उगाही गयी कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों जो राज्य सरकार द्वारा समस-समय पर निर्धारित किये जायें काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में पालिकाओं को लौटा दी जायेगी। प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को फाईनेन्शियल हैण्ड बुक स्वीकृत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदान का धनराशि प्राप्त करेगा।

(2) पालिका निबन्धन एवं स्टाम्प विभाग के कर्मचारी को ऐसे मासिक पारिश्रमिक का भुगतान भी करेगा, जो नगरपालिका परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करें।

(3)–**अभिलेखों का निरीक्षण**–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगरपालिका को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, माहुल,
आजमगढ़।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, बाँगरमऊ, उन्नाव

17 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 2454/उपविधि/2020-21—नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ उन्नाव ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये अपनी सीमा के अन्तर्गत मच्छर जनित एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं प्रबन्धक के निमिन्त उपविधि नियमावली, 2019 प्रस्तावित की गयी है, जिसे कार्यालय के पत्र संख्या 1873/उपविधि/2019-20, दिनांक 27 नवम्बर, 2019 तथा पत्र संख्या 1873/(2)/उपविधि/2019-20, दिनांक 27 नवम्बर, 2019 के द्वारा दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला व दैनिक विचार सूचक उन्नाव के दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के अंक में प्रकाशित करायी गयी। उक्त प्रकाशन के पश्चात् आपत्ति एवं सुझाव निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर प्राप्त नहीं हुये। अतः नगरपालिका परिषद् बांगरमऊ द्वारा निर्मित मच्छर जनित एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु उपविधि नियमावली, 2019 उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

"मच्छर जनित एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु उपविधि नियमावली"

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ, उन्नाव में यह उपविधि नियमावली, 2019 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

1—(1) यह उपविधि नगरपालिका (मच्छरजनक) स्थितियां पैदा करने वालो के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही उपविधि, 2019 कहलायेगी।

(2) यह नगरपालिका की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त मानी जायेगी।

2—**परिभाषाएं**—(1) जब तक की सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपविधि में—

[क] अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी से है।

3—**प्रतिषेध**—कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में—

(1) पानी को ऐसे जमा नहीं होने देगा या बहने नहीं देगा कि जिससे मच्छर अपना प्रजनन (ब्रीडिंग) कर सके या उनके उसमें प्रजनन करने की सम्भावना हो।

(2) इस क्षेत्र में तो खुद पानी जमा होने देगा और न दूसरे को ऐसा करने की इजाजत या अनुमति देगा और न किसी भी प्रकार से पानी को वहां जमाया संचित होने देगा जिसमें मच्छर पैदा होते हो या उनके पैदा होने की सम्भावना हो। ऐसा वह उसी हालत में होने देगा जब उस पानी का इस प्रकार उपचार (ट्रीटमेंण्ट) हो गया हो कि उसमें मच्छर पैदा ही न हो पाये।

4—**जन विज्ञापन**—किसी भी स्थिर पानी बहते पानी के जल निकाय (वाटर बाडी) में यदि लावे पाये तो वह इस बात के प्रमाण होगें कि उस पानी में मच्छरों की ब्रीडिंग हो रही है।

5—**मच्छरों के प्रजनन स्थलों (ब्रीडिंग प्लेसेज) की कीट नाशक उपचार**—(1) नगर स्वास्थ्य अधिकारी जिन रुके हुये या बहते हुये पानी के स्थानों में मच्छर पनप रहे हो या उनके पनपने की सम्भावना हो, उस सभी के स्वामियों (ओनरों) अभिग्राहियों (आक्यूपायरों) को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करके निर्दिष्ट समय में जो (चौबीस घण्टों से कम नहीं) भौतिक, रसायनिक अथवा जैविक किसी भी विधि से या अन्य किसी ऐसे उपयुक्त उपाय से जिस नगर स्वास्थ्य अधिकरी उचित समक्षता हो, उन प्रजनन स्थलों को उपचारित (ट्रीट) करवायेगा।

(2) यदि उपविधि (क) के अन्तर्गत अभिग्राही आक्यूपायर किरायेदार लीज आदि पर आवास लेने वाले को नोटिस दिया जाता है और इसके विपरीत में कोई कारनामा व्यक्त (एक्सप्रेस्ड) या व्यजित (इम्पलाइड) नहीं हुआ है तो

मालिक से उसके द्वारा नोटिस में बताये गये उपायों पर खर्च की गयी उचित धनराशि मांग सकता है अथवा उसे किराये में काट सकता है जो उसे मकान मालिक को देना है।

6–**व्यतिक्रम अथवा चक्र पर कार्यवाही**–यदि उपविधि 5 (1) के अन्तर्गत वह व्यक्ति जिस पर नो जारी किये गये हैं बताये गये उपायें करने से इन्कार कर देता है या नोटिस में निहित उपचार निर्दिष्ट समय में करवा सकता है और इसका खर्चा जैसी भी स्थिति मालिक या किरायेदार से वसूल कर सकता है मानों सम्पत्ति कर का बकाया हों।

7–**मच्छर रोधी संरचनाओं की सुरक्षा**–किसी भी जमीन पर या भवन में मच्छरों के प्रजनन रोकने के लिये सरकार से स्थानीय प्राधिकरण मच्छर रोधी संरचनाओं की या सरव निदेश से अभिग्राही (आक्यूपायर) ने यदि कोई नियम करवाया है तो अधिशासी अधिकारी सुरक्षा उस जमीन या भवन उपयोग किसी ऐसे काम के लिये रोक सकता है जो मच्छर रोधी इन संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने या कार्य कुशलता में गिरावट लाये।

8–**मच्छर निवारण/नियंत्रण कार्य में दखलन्इरजी या हस्तक्षेप पर रोक**–अधिशासी अधिकारी की अनुमति बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्मित संरचना या सामग्री या वस्तु से जो उन स्थान पर या उन भवन में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिये मुख्य अधिशासी अधिकारी के आदेश से बनी हो या रखी किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं करेगा न उसे बिगडेगा नष्ट करेगा और बेकार करेगा। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस उपविधि का उल्लंघन किया जाता है तो अधिशासी अधिकारी फिर उस रचना (स्ट्रक्चर) को बनवायेगा या उन सामग्री के स्थान पर नई सामग्री रखेगा और उसका खर्च उस व्यक्ति से वसूल करेगा मानों वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

9–**प्रत्येक पात्र**–घर, भवन रेड (सायबान) या जमीन का मासिक या किरायेदार वहां पर कोई बोतल, बर्तन बाल्टी डिब्बा या अन्य कोई पात्र, साबुन या टूटा हुआ, इस तरह से नहीं रखेगा कि उसने पानी जमा होने की सम्भावना हो या पानी भरा रहे, जिससे उसमें मच्छर पैदा हो।

10–निर्माण कार्य जैसे सड़क निर्माण करने, रेलवे लाइन डालने, घाट बनाने के समय जमीन में खोदे गये गड्ढे (बोर पिट) इस प्रकार होंगे कि उनमें पानी न भरा रहे। जहां भी सम्भव और व्यवहार हो, इन बोरापिटों के किनारे को साफ रखा जाये। एक प्रतिशत का अतिरिक्त खर्चों इस काम के लिये किया जाये। बोरापिटों के तलों में इस प्रकार का ढाल और रूप दिया जाये कि नालियों से पानी एक बोरापिट से निकल कर दूसरे में चला जाये और आखिर में सबसे समीप के नाले में गिर जाये। कोई भी व्यक्ति अलग से कोई बोरापिट नहीं बनवायेगा जिसमें पानी जमा हो और मच्छर पैदा हों।

11–यदि मच्छरों की रोकथाम की किसी योजना को कार्यान्वित करने के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद हो, या इन उपबन्धों के अन्तर्गत कोई ऐसा निर्माण कार्य हो जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार उलझी हो, तो इस मामले में भारत सरकार का फैसला अन्तिम होगा।

12–**स्वास्थ्य कर्मचारियों को परिसर (प्रेमिसेज) में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकारी**–अधिकारी उचित समय पर लिखित नोटिस या सूचना देने के बाद विवेक सम्मत समय पर घरों पर प्रवेश कर सकेगा। अपने क्षेत्राधिकार की किसी जमीन या भवन में प्रवेश और इस या भवन का मालिक या किरायेदार जैसा भी हो, इस प्रवेश और निरीक्षण में अपनी पूरी सहायता देगा और वह सभी जानकारी देगा जिसकी मलेरिया नियन्त्रण कार्य में जरूरत है।

नगरपालिका परिषद, बांगरमऊ अपनी सीमान्तर्गत लागू उपविधि के किसी भी पैरा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आर्थिक दण्ड निर्धारित करते हुये प्रति प्रकरण रु0 200.00 प्रतिदिन दण्ड के रूप में वसूल करेगी। यदि कोई व्यक्ति दण्ड देने में असमर्थ रहता है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भांति करने का अधिकार पालिका परिषद् में निहित है।

इजहार खां,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद, बांगरमऊ,
उन्नाव।

कार्यालय, नगर पंचायत, बदलापुर, जौनपुर

07 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1225/सा0न0पं0 बदला0–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) व अन्य अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, बदलापुर सीमा अन्तर्गत भवन के निर्माण को नियन्त्रण करने के लिये पुनः निर्माण, संशोधन, परिवर्तन के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधि का पाण्डूलेखा नगरपालिका की धारा 301(2) के अन्तर्गत तैयार करके विहित रीति से प्रकाशित करती है। इस उपविधि का प्रभाव जिन लोगों पर पड़ने की सम्भावना हो, उन व्यक्तियों से आपत्ति व सुझाव इस उपविधि की प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर आमंत्रित किया जाता है, निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आपत्ति एवं सुझाव निर्धारित समय के अन्दर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बदलापुर को सम्बोधित किया जाना चाहिये। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधि

1–**संक्षिप्त नाम व विस्तार**–यह उपविधि नगर पंचायत, बदलापुर, जनपद जौनपुर की भवन निर्माण होने वाले भवनों पर होगा।

2–**प्रभाव**–यह उपविधि नगर पंचायत, बदलापुर, जौनपुर के नाम से शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

3–नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत, बदलापुर, जौनपुर से है।

4–अधिशासी अधिकारी/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत, बदलापुर, जौनपुर के अधिशासी अधिकारी/प्रशासक से है।

5–नगरपालिका अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

6–भवन का तात्पर्य नगर पंचायत, बदलापुर, जौनपुर की सीमा में निर्माण होने वाले भवनों से है, जिनका निर्माण/पुनर्निर्माण/संशोधन/परिवर्धन/परिवर्तन समय-समय पर किया जायेगा।

7–यह उपविधि के लागू होते ही नगर पंचायत, बदलापुर, जनपद जौनपुर में प्रचलित वर्तमान नियमों के उपबन्ध उस सीमा तक जहां तक इन उपनियमों से असंगत हो, प्रभाव शून्य समझे जायेंगे।

8–(अ) भवन निर्माण संशोधन, पुनर्निर्माण के पूर्व स्वामी/अध्यासी को नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन के साथ प्रस्तावित भवन निर्माण ड्राइंग की दो प्रति, प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करना होगा, जिसमें सेक्शन प्लान फ्रन्ट एलीवेशन कम से कम दो सेलक्शन/जलनिकास व्यवस्था प्लान सैण्टिक है कि ड्राइंग साइट प्लान जिसमें चारों ओर से भवन व भूमि की स्थिति स्पष्ट देना होगा तथा प्रस्तावित भवन का आगणन एवं अनुसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ब) ड्राइंग 1:100 के पैमाने ब्लू प्रिन्ट पेपर पर बनाकर प्रस्तुत करना होगा।

(स) भवन निर्माण में कमरे आदि नियत क्षेत्रफल के अनुसार स्पष्ट होगा।

9–(1) कक्ष की खिड़की आदि संवातन हेतु दीवार क्षेत्रफल का कम से कम 10 प्रतिशत होगी।

(2) दरवाजे की ऊंचाई कम से कम 1.80 मीटर कुर्सी तल पर से होगी।

(3) मुख्य बाहरी दीवाल की मोटाई कम से कम 23 से0मी0 होगी, बाउण्ड्री दीवाल की मोटाई 18 से0मी0 मोटी रखी जा सकती है।

(4) दो से अधिक मंजिल की ऊंचाई के निर्माण हेतु प्रस्तावित ड्राइंग के साथ नींव को अभिकल्प भी संकल्प करना आवश्यक होगा।

10–छत की ऊंचाई कम से कम 11 फुट होगी।

11–प्रत्येक मंजिल हेतु ड्राइंग से अलग-अलग प्लान स्पष्ट करना होगा।

12–भवन निर्माण में निम्न विवरण के अनुसार खाली क्षेत्र छोड़ देना होगा–

(क) 100 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 25%।

(ख) 100-200 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 30%।

(ग) 200-500 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 40%।

(घ) 500-1000 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 50%।

(ङ) 1000 से अधिक वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 60%।

13–ड्राइंग बनाने हेतु नगर पंचायत द्वारा तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों का पंजीकरण किया जायेगा, जिसको प्रतिवर्ष रु0 2,000.00 शुल्क जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रति ड्राइंग रु0 100.00 की धनराशि ड्राफ्टमैन को कार्यालय में जमा करना होगा, उपरोक्त धनराशि न जमा करने पर उनका पंजीकरण रद्द माना जायेगा।

14–नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही निर्माण कार्य किया जायेगा, जो ड्राइंग बनाने वाले पंजीकृत ड्राइंग के अनुसार कराने का प्रमाण-पत्र भी उक्त व्यक्ति को देना होगा।

15–नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध कार्य कराने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और अर्थदण्ड रु0 1,000.00 वसूल किया जायेगा।

16–भवन निर्माण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को प्रस्तावित भूखण्ड का तैयार किया गया संलग्न मानचित्र सहित आवेदन-पत्र निम्नवत् निर्धारित शुल्क दर के अनुसार धनराशि जमा करने के उपरान्त नगर पंचायत कार्यालय में दाखिला मान्य होगा–

(क) भवन मानचित्र के अनुसार रु0 50,000.00 (पचास हजार रुपये) से रु0 5,00,000.00 (पांच लाख रुपये) तक के लागत का 1/2 प्रतिशत धनराशि शुल्क रूप में नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

(ख) रु0 5,00,001.00 (पांच लाख एक रुपये) से रु0 10,00,000.00 (दस लाख रुपये) तक लागत के भवन निर्माण हेतु लागत का 1 प्रतिशत धनराशि नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

(ग) रु0 10,00,001.00 (दस लाख एक रुपये) से रु0 20,00,000.00 (बीस लाख रुपये) तक लागत के भवन निर्माण हेतु अधिकतम रु0 1.5 प्रतिशत शुल्क नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

(घ) रु0 20,00,001.00 (बीस लाख एक रुपये) या इससे अधिक लागत तक के भवन निर्माण हेतु अधिकतम 2.00 प्रतिशत शुल्क नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।

(ङ) प्रोजेक्शन भू-खण्ड क्षेत्र के बाहर सीढ़ी, छज्जा, आदि निकालने की अनुमति नहीं होगी।

17–(1) निर्धारित आवेदन प्रारूप पर प्राप्त भवन निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ भू-स्वामित्व का प्रमाण-पत्र तथा प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु ड्राइंग की दो प्रति संलग्न कर कार्यालय नगर पंचायत में जमा करना होगा।

(2) प्रार्थना-पत्र के उपरान्त प्रस्तावित भवन के चारों ओर के भू-स्वामियों को नोटिस देकर सूचित किया जायेगा कि वे एक सप्ताह के अन्दर यदि आपत्ति हो अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

यदि एक सप्ताह के अन्दर कोई आपत्ति नहीं होती है तो यह समझा जायेगा कि उक्त निर्माण से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और स्वीकृत की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(3) प्रस्तावित ड्राईग की आवश्यकतानुसार आख्या प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(4) प्रस्तावित निर्माण को सन्निकट सड़क, नाली, सीढ़ी, गली से चार फीट अपनी जमीन छोड़कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(5) उपरोक्तानुसार भवन निर्माण की स्वीकृति अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी द्वारा दी जायेगी, जो स्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगी।

(6) यदि निर्माण कार्य एक वर्ष में नहीं पूरा किया जा सकता है तो पुनः नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र आवेदक को निर्धारित शुल्क के साथ जमा करना होगा।

(7) एक बार स्वीकृत की अवधि बढ़ जाने पर पुनः अवधि बढ़ाने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी आवेदक को नये सिरे से अवशेष निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

18–**निरीक्षण**–(1) नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण ड्राइंग के अनुसार किये जा रहे निर्माण कार्य को प्रशासक/अधिशासी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

(2) यदि निर्माण कार्य नियम के विपरीत अथवा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया जा रहा है तो अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि निर्माण कार्य को तुरन्त रोकवा देंगे और नियम के विरुद्ध कार्य कराने पर नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 186 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

(3) इस उपविधि के अनुसार दी गयी स्वीकृति के उपरान्त यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि आवेदक द्वारा गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके नक्शा स्वीकृत करा लिया गया है तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा और स्वीकृत मानचित्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) किसी भी अतिक्रमण को जो किसी भी सड़क, गली अथवा सार्वजनिक भूमि पर किया जा रहा हो तो नगर पंचायत को अधिकार होगा कि यह उसे हटवा दे।

19—नगर पंचायत को अवैध निर्माण को रोकवाने तथा अनाधिकृत निर्माण के भवन को गिराने का अधिकार धारा 186 के तहत अधिशासी अधिकारी किसी भी समय नोटिस देकर भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को किसी भवन के अथवा भवन के किसी भाग के निर्माण अथवा कोई निर्माण अथवा पुनः निर्माण परिवर्तन करने से रोक सकता है। उन दिशाओं में जब कि वह ऐसा निर्माण पुनः परिवर्तन निर्माण अथवा परिवर्तन धारा 186 के अधीन अपराध समझे तो किसी भी रीति के भवन को गिराने का आदेश दे सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।

20—प्रत्येक भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना अनिवार्य है तथा प्यार्वरण को स्वच्छ बनाने हेतु खाली भूमि पर वृक्षारोपण कराना आवश्यक होगा।

21—कतिपय मामलों में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 180 क में आमोद स्थल की स्वीकृत के समय राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन के बाद दी जायेगी।

दण्ड

नगर पंचायत, बदलापुर, जौनपुर संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत यह आदेश देती है कि इस उपविधि के किसी भी भाग का उल्लंघन करने, भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जावे तो अग्रेतर जुर्माना किया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो रुपया 2,500.00 तक हो सकेगा।

अमरदेई,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बदलापुर,
जौनपुर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, बाँगरमऊ, उन्नाव

17 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 2453/उपविधि/2020-21—उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ (उन्नाव) के द्वारा अपनी सीमान्तर्गत विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2019 प्रस्तावित की गयी। जिसे कार्यालय के पत्र संख्या 2279/उपविधि/2020-21, दिनांक 16 जून, 2020 के द्वारा दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला" व दैनिक "आज" में क्रमशः दिनांक 17 जून, 2020 व 18 जून, 2020 के अंक प्रकाशित करायी गयी। उपरोक्त प्रकाशन के पश्चात् आपत्ति एवं सुझाव निर्धारित समयावधि एक माह पश्चात् प्राप्त नहीं हुये। अतः नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ द्वारा निर्मित "विविधकर (शुल्क उपविधि) नियमावली, 2020" उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली''

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 जो नगरपालिका परिषद् पर प्रवृत्त है के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ, उन्नाव में यह उपविधि कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2020 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

1—संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

(1) यह उपविधि ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2020'' कहलायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ, उन्नाव की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ में प्रभावी होगी।

2–**परिभाषायें**–

उपरोक्त नियमावली में विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ पढ़ा व समझा जाये–

(एक) ''अधिनियम'' का तात्पर्य ''उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916'' से है।

(दो) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य ''नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ, के अधिशासी अधिकारी'' से है।

(तीन) ''नगर पालिका परिषद्'' का तात्पर्य ''नगर पालिका परिषद् बांगरमऊ उन्नाव की सीमा" से है।

(चार) ''अध्यक्ष/प्रशासक'' का तात्पर्य ''नगर पालिका परिषद्, बांगरमऊ के अध्यक्ष/प्रशासक" से है।

3–विविधकर शुल्क की दरें–

(1) प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रमाण-पत्र न्यूनतम।

(2) पेयजल आपूर्ति पर जलमूल्य घरेलू दर रु0 50.00 प्रतिमाह न्यूनतम।

(3) पेयजल आपूर्ति पर जलमूल्य व्यावसायिक दर रु0 100.00 प्रतिमाह न्यूनतम।

(4) नाला/नाली या सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रकरण।

(5) नाला/नाली या सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण।

(6) सड़क के किनारे मौरंग, बालू ईंट, भवन, सामग्री पाये जाने पर नालियों के ऊपर अतिक्रमण सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 500.00 प्रतिदिन प्रति प्रकरण।

(7) वाटर टैंकर शुल्क (पालिका सीमा में घरेलू/सार्वजनिक कार्य हेतु) शुल्क रु0 500.00 प्रति टैंकर/प्रति चक्कर/प्रति टैंकर (08 घण्टे हेतु)।

(8) वाटर टैंकर शुल्क (पालिका सीमा में व्यावसायिक कार्य हेतु) शुल्क रु0 500.00 प्रति टैंकर/प्रति चक्कर/प्रति टैंकर (08 घण्टे हेतु)

(9) सीवेज टैंकर उपयोग शुल्क (पालिका सीमान्तर्गत) शुल्क रु0 1,000.00 प्रति टैंकर/प्रति चक्कर।

(10) जे0सी0बी0 मशीन व्यक्तिगत उपयोग हेतु किराया शुल्क रु0 800.00 प्रति घण्टा।

(11) नगरपालिका के मोबाइल टायलेट किराया शुल्क रु0 1,500 प्रति दिन (08 घण्टे हेतु)।

(12) नगरपालिका सीमान्तर्गत प्राइवेट सीवर सेक्शन मशीन (टैंक, सीवर आदि साफ करने हेतु) प्रयोग करने वाले व्यावसायिक फर्मों का लाइसेंस शुल्क रु0 15,000 प्रतिवर्ष। सीवेज अनलोड नगरपालिका द्वारा निर्धारित स्थान पर किया जायेगा।

जल संयोजन हेतु शुल्क	घरेलू शुल्क	अघरेलू शुल्क
1	2	3
	रु0	रु0
प्रार्थना-पत्र शुल्क	50.00	50.00
सामग्री जांच शुल्क	50.00	50.00
मीटर जांच शुल्क	50.00	50.00
सुपरविजन शुल्क (लागत+कार्य का)	30 प्रतिशत	40 प्रतिशत
मार्गक्षति शुल्क	लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुसार	
जमानत धनराशि	300.00	500.00
अवैध जल संयोजन हेतु–		
अर्थदण्ड	500.00	500.00
जलमूल्य (06 माह हेतु)	300.00	300.00
जल संयोजन नियमितीकरण शुल्क	350.00	350.00
जमानत धनराशि	–	200.00

13–भवन स्वामियों द्वारा नल की टोटी खुली पायी जाने पर जुर्माना रु0 50.00 प्रति प्रकरण।

14—भवन स्वामियों द्वारा नल की टोटी खुली पायी जाने की पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना रु0 100.00 प्रति प्रकरण।

15—सीवर टैक्स शुल्क रु0 50.00 प्रति माह।

16—40 माइक्रोन से कम की मोटाई की पालीथीन प्रयोग करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रकरण।

17—40 माइक्रोन से कम की मोटाई की पालीथीन प्रयोग करने की पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण।

18—नगरपालिका सीमा में स्थित पेट्रोल पम्प पर व्यावसायिक शुल्क रु0 3,000.00 वार्षिक।

19—नगरपालिका सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यावसायिक शुल्क रु0 3,000.00 वार्षिक।

20—नगरपालिका सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस/अतिथि गृह पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।

21—नगरपालिका सीमा में व्यावसायिक रेस्टोरेंट/ढाबा पर शुल्क रु0 3,000.00 वार्षिक।

22—नगरपालिका सीमा में चलने वाले ई-रिक्शा/गाड़ी पर लाइसेन्स शुल्क रु0 600.00 वार्षिक।

23—नगरपालिका सीमा में स्थापित टावरों पर व्यावसायिक शुल्क रु0 10,000.00 वार्षिक।

24—डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ, उन्नाव द्वारा अनुबन्ध संस्था होने वाले यूजर चार्ज के रूप में घरेलू रु0 50.00 प्रति परिवार/प्रति माह, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से रु0 100.00 प्रति प्रतिष्ठान/प्रतिमाह तथा गेस्ट हाउस या बल्क वेस्ट जनरेटर रु0 500.00 प्रति गेस्ट हाउस/प्रति बुकिंग।

25—नगरपालिका सीमा में श्वान पालकों को नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ, उन्नाव के कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है पंजीकरण शुल्क रु0 100.00 प्रति वर्ष/प्रति श्वान।

26—कांजी हाउस में रखे जाने वाले छोटे जानवर का खुराकी शुल्क रु0 50.00 प्रतिदिन/प्रति जानवर।

27—कांजी हाउस में रखे जाने वाले बड़े जानवर का खुराकी शुल्क रु0 100.00 प्रतिदिन/प्रति जानवर।

28—गाय/भैंस/सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण/प्रतिदिन।

29—**नामान्तरण शुल्क**—

(क) वरासतन/रजिस्टर्ड वसीयत/न्यायालय निर्णय/रजिस्टर्ड हिबानामा के आधार पर नामान्तरण शुल्क रु0 1,000.00।

(ख) 01 से 49999 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क रु0 1,000.00।

(ग) 50,000.00 से 99,999.00 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क रु0 2,000.00।

(घ) 1,00,000.00 से 2,99,999.00 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क रु0 3,000.00।

(ङ) 3,00,000.00 से 4,99,999.00 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क रु0 3,000.00।

(च) 5,00,000.00 से 9,99,999.00 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क रु0 5,000.00।

(छ) 10,00,000.00 से 14,99,999.00 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क रु0 7,000.00।

(ज) 15,00,000.00 से ऊपर बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क रु0 10,000.00।

30—पालिका सीमा में स्थित आटा चक्की/धान कूटने वाली मशीन/तेल पेराई मशीन/रूई धुनाई मशीन पर व्यावसायिक शुल्क रु0 500.00 वार्षिक।

31—पालिका सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रांसफार्मर शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक।

32—पालिका सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।

33—भैंसा/बकरा व अन्य मीट की दुकान हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की फीस रु0 1,000.00 वार्षिक।

34—पालिका सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मूत्रालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 03.00 प्रति व्यक्ति एवं टायलेट प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति यूजर चार्ज सं0 रु0 5.00 प्रति व्यक्ति लिया जायेगा।

35—पालिका सीमा में स्थित नाला, नाली, सड़क, अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 तथा पुनरावृत्ति करने पर रु0 5,000.00 प्रति प्रकरण।

36—पालिका सीमा में स्थित व्यावसाय करने वाले छोटे दुकानदारों, अर्थात 200 वर्ग फुट क्षेत्रफल या उससे कम कवर्ड एरिया में व्यवसायिक शुल्क रु0 100.00 मासिक।

37—पालिका सीमा में स्थित व्यवसाय करने वाले बड़े दुकानदारों अर्थात् 200 वर्ग फुट क्षेत्रफल या उससे अधिक कवर्ड एरिया से व्यावसायिक शुल्क रु0 200.00 प्रति माह।

38—नगरपालिका परिषद् की सीमा में स्थित भवन में निजी सबमर्सिबल पम्प लगवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 2,000.00।

(क) नगरपालिका की सीमा में स्थित भवन में निजी सबमर्सिबल पम्प से पानी उपयोग करने हेतु वार्षिक शुल्क रु0 600.00।

(ख) ऐसे भवन स्वामी जो व्यावसायिक सबमर्सिबल पम्प का प्रयोग करते हैं इस हेतु वार्षिक शुल्क रु0 1,200.00।

39—छोटी बाउण्ड्रीयुक्त या मकानों के मध्य खाली भू-खण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा फेकने को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अपने खाली भू-खण्डों व छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम 02 मी0 ऊंची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

40—नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ, उन्नाव की सीमान्तर्गत संचालित निजी स्वामित्व के स्कूल/कालेज पर व्यावसायिक शुल्क निम्न प्रकार से हैं—

(क) प्लेग्रुप से कक्षा 12 तक शुल्क रु0 10,000.00 वार्षिक।

(ख) डिग्री कालेज पर शुल्क रु0 20,000.00 वार्षिक।

41—नर्सिंग होम 20 बेड तक व्यावसायिक शुल्क रु0 10,000.00 वार्षिक।

42—नर्सिंग होम 20 बेड से अधिक व्यावसायिक शुल्क रु0 20,000.00 वार्षिक।

43—सचिव उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-9 शासनादेश संख्या 406/नौ-9-1997-95जनर/96, दिनांक 10 फरवरी, 1997 के अनुपालन में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत कर प्रस्तावित है—

(क) डिश एन्टीना शुल्क—

[1] नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ, उन्नाव की सीमान्तर्गत डिश एन्टीना के माध्यम से टी0वी0 प्रसारण किया जाता है या डिश एन्टीना का व्यवसाय किया जाता है।

[2] प्रत्येक डिश एण्टीना स्वामी/साझेदार पर उनके दिये गये कनेक्शनों पर प्रति कनेक्शन शुल्क रु0 20.00 प्रति माह लिया जायेगा।

[3] डिश एन्टीना स्वामी माह के अन्तिम सप्ताह में संचालित कनेक्शन की सूची अनिवार्य रूप से पालिका में उपलब्ध करायेगा।

[4] कनेक्शनों की जांच/निरीक्षण पालिका के अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी किया जा सकेगा।

[5] केबिल तार इस प्रकार से लगाया जाये जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना/विद्युत आपूर्ति में बाधा की समस्या न हो।

(ख) शो टैक्स—

नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ, उन्नाव सीमान्तर्गत मनोरंजन (शो) के माध्यम से फिल्म/मनोरंजन कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे स्वामियों पर रु0 50.00 प्रति शो की दर से कर वसूला जायेगा।

(ग) विज्ञापन शुल्क की दरें निम्नवत् हैं—

सचिव उ0प्र0 नगर विकास अनुभाग-9, शासनादेश संख्या 618/नौ-9-2012-277ज/2011, दिनांक 05 अप्रैल, 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश—

[क] विज्ञापन शुल्क रु0 06.00 प्रति फुट प्रतिमाह।

[ख] ग्लोसाइन बोर्ड/साइन बोर्ड विज्ञापन पट्ट रु0 05.00 प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह।

[ग] क्यास/वाल पेन्टिंग रु0 04.00 प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह।

[घ] पोस्टर/बैनर आदि रु0 03.00 प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह।

(1) विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक स्थिति में निरापद, निर्बाध, गमनागमन और सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपयुक्त हो।

(2) विज्ञापन पटों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये, ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये।

(3) विज्ञापनों की वृक्षों, बल्लियों, बांस या लकड़ी से बांधा नहीं जायेगा, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन से आस-पास कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी प्रकार से विरूपित न हो।

(4) विज्ञापन शुल्क प्रति वर्ग फुट रु0 06.00 देय होगा।

(5) किसी भी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भी दशा में जनहित व निकाय हित के प्रतिकूल नहीं होने चाहिये और उसमें सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिये।

नोट–किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी हालत में न्यूनतम रु0 200.00 से कम नहीं होगा। उपरोक्त दरों में प्रत्येक पांच वर्ष के उपरान्त शुल्क स्वतः 25 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी, किन्तु पालिका दरों में पुनः कोई संशोधन करना चाहती है तो पालिका के पास अधिकार सुरक्षित होगा।

44–शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत निर्धारित बाजार क्षेत्र में लगाई जाने वाली दुकानों से शुल्क नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ, उन्नाव द्वारा बाजार हेतु चिन्हित स्थल पर लगने वाली छोटी दुकानों से रु0 20.00 प्रतिदिन प्रति बाजार की दर से एवं बड़ी दुकानों से रु0 50.00 प्रतिदिन प्रति बाजार शुल्क वसूली की जायेगी तथा भविष्य में पालिका में वेन्डिंग जोन/बाजार हेतु चिन्हित होने वाले अन्य स्थलों पर भी शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार शुल्क की दरें प्रभावी मानी जायेंगी। शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत चिन्हित बाजार क्षेत्र में वसूली या भविष्य में बाजार क्षेत्र हेतु चिन्हित होने वाले अन्य स्थलों पर शुल्क की वसूली सरकारी कर्मियों से सीधे करायी जायेंगी या वार्षिक ठेका नीलामी/निविदा के माध्यम से की जायेगी।

45–पड़ाव अड्डे के नियम व शर्तों में वाहनों के पार्किंग शुल्क की दरें निम्नानुसार पढ़ी व समझी जायें–

(क) बड़ी बस रु0 50.00 प्रतिदिन प्रति गाड़ी।

(ख) मिनी बस, मैजिक वैन, टैक्सी, कार, जीप रु0 40.00 प्रतिदिन प्रति गाड़ी।

(ग) थ्री व्हीलर गाड़ी, विक्रम टैम्पो इत्यादि रु0 30.00 प्रतिदिन प्रति गाड़ी।

(घ) आटो रिक्शा, ई-रिक्शा रु0 20.00 प्रतिदिन प्रति गाड़ी देय होगा।

नोट–उपरोक्त नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ, उन्नाव विविधकर शुल्क उपविधि नियमावली, 2020 उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन/मुद्रण की तिथि में प्रभावी होंगी। इस उपविधि में उल्लिखित विविधकर शुल्क की दरों में एवं पूर्व प्रकाशित नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ, उन्नाव की उपविधि की दरों में कोई विरोधाभास हो तो विविधकर शुल्क उपविधि अधिनियम नियमावली, 2020 में उल्लिखित दरें प्रभावी मानी जायेंगी।

शास्ति

नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ अपनी सीमान्तर्गत लागू उपविधि के किसी भी पैरा के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आर्थिक दण्ड निर्धारित करते हुये प्रति प्रकरण रु0 200.00 प्रतिदिन की दर से दण्ड के रूप में वसूल करेगी। यदि कोई व्यक्ति दण्ड स्वरूप धनराशि देने में असमर्थ रहता है तो उसकी वसूली भू0 राजस्व की भांति करने का अधिकार पालिका परिषद् में निहित होगा।

इजहार खां,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, बांगरमऊ,
उन्नाव।

NOTICE

I, Ayush Jacob Abraham solemnly affirm and declare that my name as per Aadhar card No. 4157-9909-7772 is "Ayush Jacob Abraham" and in educational records the same is Ayush J. Abraham. Both are the same individual for any legal or other purpose.

Ayush Jacob Abraham
S/o K. M. Abraham,
R/o Flat No. 316, Vinayak Enclave,
Ashok Nagar, Allahabad-211001.

NOTICE

I, Allen John Abraham solemnly affirm and declare that my name as per Aadhar card No. 7644-7828-2892 is "Allen John Abraham" and in educational records the same is Allen J. Abraham. Both are the same individual for any legal or other purpose.

Allen John Abraham
S/o K. M. Abraham,
R/o Flat No. 316,Vinayak Enclave,
Ashok Nagar, Allahabad-211001.

NOTICE

M/s. S. D. D. Solutions M-1152, Sector-1 L. D. A. Colony Kanpur Road, Lucknow-226012 informing all that Partner namely Durgesh Shahi S/o Shri Ram Narayan Shahi, R/o 538ka/1707/16 Yogi Nagar, Trevini Nagar-2, Sitapur Road Lucknow-226020 is Retiring *w.e.f.* 5-11-2020 & shall have no claim due in running business and Smt. Archana Watt D/o Ram Dayal Bhatt, R/o M-1152, L.D.A. Colony Kanpur Road, Lucknow-226012 has been added as a partner *w.e.f.* 6-11-2020 & firm shall be continued under the name & style of M/s. A. D. S. Partners.

DIKSHIT WATT
Partner.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम प्रदीप अग्रवाल, प्रदीप बंसल, प्रदीप और प्रदीप कुमार के स्थान पर प्रदीप कुमार अग्रवाल रख लिया है, भविष्य में मुझे प्रदीप कुमार अग्रवाल के नाम से ही जाना पहचाना जाये।

प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 रामकिशन अग्रवाल 183/9, विभव नगर, फिरोजाबाद के ये सभी कागजी औपचारिकतायें मेरे द्वारा स्वयं पूर्ण की गयी हैं।

प्रदीप कुमार अग्रवाल,
पुत्र स्व0 रामकिशन अग्रवाल,
183/9, विभव नगर, फिरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मित्तल रबड़ इन्डस्ट्रीज, पता दयाल बाग सूरज कुंड, जिल मेरठ, उत्तर प्रदेश की पाटनर्स शिप 01 अप्रैल, 2019 को हुई थी, इसमें क्रमशः तीन साझेदार श्री अनिल कुमार मित्तल पुत्र श्री गोपी चंद मित्तल, श्री अजय कुमार मित्तल पुत्र श्री गोपी चंद मित्तल व श्री अरूणि मित्तल पुत्र श्री अजय कुमार मित्तल थे। दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को साझेदार श्री अनिल कुमार मित्तल पुत्र श्री गोपी चंद मित्तल स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गये हैं तथा इनका फर्म से कोई लेना-देना बकाया नहीं है तथा अब इनकी जगह दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को नई साझेदार कु0 वंशिका मित्तल पुत्री श्री अजय कुमार मित्तल स्वेच्छा से इस फर्म में साझेदार हो गई हैं। तथा अब इस फर्म में क्रमशः तीन साझेदार ही रहेंगे। 1–श्री अजय कुमार मित्तल पुत्र श्री गोपी चंद मित्तल, 2–श्री अरूणि मित्तल पुत्र श्री अजय कुमार मित्तल, 3–कु0 वंशिका मित्तल पुत्री श्री अजय कुमार मित्तल साझेदार हो गये हैं।

अजय कुमार मित्तल,
साझेदार,
मेसर्स मित्तल रबड़ इन्डस्ट्रीज,
दयाल बाग सूरज कुंड,
जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता (स्व0 जे0 एन0 प्रसाद) के सर्विस बुक में मेरा नाम उषा श्रीवास्तव लिखा गया है जो अब उषा कुमारी है। मेरा पता 294बी/102, तुलाराम बाग, प्रयागराज।

उषा कुमारी।

सूचना

मैं भावना पुरवार पत्नी मुनीद्र पुरवार, निवासिनी 172 आनन्द नगर, इटावा साझीदार मेसर्स श्री जी0 इण्टर प्राइजेज पंजीकरण सं0 (KAP/0000292) स्थित 738 लखनपुर हाउसिंग सोसायटी विकास नगर, कानपुर नगर, उ0प्र0। सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि फर्म की भागीदारी में श्री मुनीद्र पुरवार पुत्र श्री रवीन्द्र कुमार, निवासी 172 आनन्द नगर, इटावा दिनांक 16 नवम्बर, 2019 से फर्म की भागीदारी में शामिल हो गये हैं तथा

विभा पाण्डेय पत्नी श्री सुधाकर पाण्डेय, निवासिनी 15/135-ए-7 मोविया, सारनाथ, वाराणसी, दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से फर्म की भागीदारी से पृथक हो गई है।

भावना पुरवार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है, मेसर्स ग्रिड इन्जीनियर्स, VI-एच/235, सेक्टर-5, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद–201005 की साझीदारी में श्री रवीन्द्र सिंह एवं श्री संजीव माहेश्वरी साझीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्री अभिनव यादव फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्री संजीव माहेश्वरी ने अपना हिसाब-किताब ले-देकर फर्म की साझेदारी से अलग हो गये हैं। अब वर्तमान में फर्म की साझीदारी श्री रवीन्द्र सिंह एवं श्री अभिनव यादव साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रवीन्द्र सिंह,
साझीदार,
मेसर्स ग्रिड इन्जीनियर्स,
VI-एच/235, सेक्टर-5, राजेन्द्र नगर,
साहिबाबाद, गाजियाबाद-201005।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है, मेसर्स वृन्दावन फूडस, अहाता गंगाराम, केसर गंज रोड, मेरठ शहर की साझीदारी में श्री अंशुल कसेरा, श्री अनिरूद्ध कसेरा एवं श्री विपिन भलोटिया साझीदार थे। दिनांक 08 नवम्बर, 2019 को श्री विपिन भलोटिया फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हुये। वर्तमान में श्री अंशुल कसेरा, श्री अनिरूद्ध कसेरा साझीदार हैं। साथ ही फर्म का पता परिवर्तित ''बी-1, उद्योगपुरम, परतापुर, मेरठ-250103'' कर दिया गया। यह संशोधन दिनांक 08 नवम्बर, 2019 से प्रभावी है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अंशुल कसेरा,
साझीदार,
मेसर्स वृन्दावन फूडस,
अहाता गंगाराम, केसर गंज रोड, मेरठ शहर,
परिवर्तित ''बी-1, उद्योगपुरम, परतापुर,
मेरठ-250103''।

सूचना

सूचित किया जाता है, भागीदारी फर्म मेसर्स दाऊबाबा डेरी, पता–धीरपुरा रोड, गांव बनकट, टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में श्री मनीष पुत्र श्री हीरा लाल, निवासी–ग्राम पारौली, सिकरवार, जिला आगरा दिनांक 02 नवम्बर, 2020 से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा पूर्व द्वितीय पक्ष श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी-150, मौहम्मदाबाद, टूण्डला, जिला फिरोजाबाद, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 से अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म से अलग हो गये। अब फर्म में श्री हीरालाल व श्री मनीष ही भागीदार रह गये हैं।

शपथकर्ता,
हीरालाल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा नाम सौरभ रायचन्दानी था। जिसे अब बदलकर सरबजीत सिंह कर लिया है। अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये।

सरबजीत सिंह पुत्र श्री जगदीश रायचन्दानी, निवासी 46-बी/1, लूकरगंज, परगना व तहसील सदर, जनपद प्रयागराज।

शपथकर्ता,
सरबजीत सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ''एम0डी0 ट्रेडर्स'', सी-325, दीनदयाल नगर, जिला मुरादाबाद (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 जून, 2018 को श्री सी0एम0 दानिल पुत्र श्री दानिल, निवासी कटघर गाड़ीखाना, जिला मुरादाबाद रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 जून, 2018 को श्रीमती शालिनी तिवारी पुत्री स्व0 सत्यपाल सरन ओझा, निवासी सी-119, रामगंगा विहार, फेज-2, जिला मुरादाबाद शामिल हो गई हैं तथा उक्त फर्म पर रिटायर्ड पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर श्री मधुर प्रकाश व श्रीमती शालिनी तिवारी रह गये हैं।

मधुर प्रकाश,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स ''एम0डी0 ट्रेडर्स'',
सी-325, दीनदयाल नगर,
जिला मुरादाबाद (यू0पी0)।

पी0एस0यू0पी0–38 हिन्दी गजट–भाग 8–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।